

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, in clause 6, there are two amendments (Nos. 1 and 2) by Dr. T. Subbarami Reddy. Dr. Reddy, are you moving the amendments?

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): No, Sir.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2016.

The Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2016

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move:

That the Bill further to amend the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I would like to say just a few words of introduction to explain the Bill. The original Act was passed in the year 1988, and when it was passed in the year 1988, in substance, the Act was that if a person pays for a particular property, and the property is held in some other person's name, it shall be deemed to be a benami property. There is a prohibition. The property can get confiscated by the State Government, and further, there would be a penal provision for that.

Now, this Bill comprises nine Sections. Under this Bill, rules have to be framed as to the manner to the confiscation, for confiscation, compensation was payable or not payable, how it had to be operated, the competent authority that would undertake these functions, the appeal provisions under the Act, so that the power could be exercised in a reasonable manner. Now, when the matter went to the Law Ministry, the Law Ministry was of the opinion that all these are essential to a legislation, and these should have been a part of the principal legislation itself. If the entire functioning of the law is to be done through subordinate legislation, that would be a case of excessive delegation. So, the Law Ministry advised that the Bill would require some form of an amendment, and therefore, the rules under this were not framed. There are judgments of the Supreme Court, at least,

[Shri Arun Jaitley]

in two cases, where what constitutes a benami property, this Act was interpreted. But actually, no acquisition took place under this Act for the reasons that the rules in order to operationalise the Act themselves were not framed. And those amendments were to be fitted into the main Act. Now the Act has only nine Sections and the amendments were over 74 or so; so new clauses were to be added. One of the reasons why it was felt necessary that you can't have a new Act altogether —there was one proposal to have a new Act—is that if you have a new Act then the penal provisions on the new Act would not be able to apply retrospectively because of Article 20 of the Constitution. And, because they could not apply retrospectively, all those who have violated the 1988 law would go scot free. As a result of which, these amendments were proposed. The matter went to the Standing Committee, which considered it, and finally, the Lok Sabha dissolved and the Bill lapsed with the Lok Sabha. The present Government again reintroduced this Bill. It has been considered by the Standing Committee and some recommendations have been made. I have accepted most of those recommendations. There are two key recommendations which we have accepted, and these two key recommendations are: One, with regard to exceptions in the principles of benami principle. Now, there could be a property owned by a family member in the name of any other family member. That's an exception which was there in the 1988 Bill or in the case of such organizations like trust etc., where you hold property in one name but it is held as a fiduciary capacity by the principal owner. Now, these were the two exceptions. There was a third valid exception which Members of the Standing Committee pointed out that a large number of properties are technically registered in the name of some other person but under some arrangement like, an agreement to sell; power of attorney; in Delhi, for instance, this practice is prevalent. These properties are effectively transferred to some other persons and possession also is given and the possession is protected under Section 53(A) of the Transfer of Property Act. Therefore, it should not apply to these transactions because there would be lakhs and lakhs of transactions of this kind. The Government has accepted that suggestion. There is one more suggestion, that the Standing Committee had made, which is related to known sources of income. That is the phrase used in the original Act itself; in the Amendments that we have proposed, whatever you buy must be from your known sources of income. Now, the Standing Committee felt that the words 'of income' itself are superfluous because there could be cases where somebody has purchased a property not from his income but by taking a loan from a bank or by some other family member contributing to it. And, therefore, the words itself should be, 'known sources' and not 'known sources of income'. We have accepted those suggestions and with these amendments, the Bill has already been approved by the Lok Sabha. I commend its acceptance to this hon. House.

The question was proposed.

श्री शमशेर सिंह दुलो (पंजाब): उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे "बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक, 2016" पर बोलने का मौका दिया है। मैं समझता हूँ कि यह बिल ब्लैक मनी और जो दो नंबर की पूंजी होती है - आप उसे ब्लैक मनी कह दीजिए या दो नंबर की पूंजी कह दीजिए, यह जो ब्लैक मनी है, यह या तो by corruption, वह चाहे by politician या by bureaucrat के थ्रू बनाई गई हो, उस परिप्रेक्ष्य में आम तौर पर हम देखते हैं कि इस देश में parallel economy ज्यादा चल रही है। जितना सरकारी बजट है, एक नंबर का जितना सरकारी पैसा है, इस देश में उससे ज्यादा ब्लैक मनी चल रही है। यह जो पैसा होता है, वह करप्टन का पैसा होता है, या जो दो नंबर का कारोबार करते हैं, उन लोगों का पैसा होता है। यह पैसा कैसे खपत होता है? यह पैसा real estate में चला जाता है। Usually, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। वह चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी हो, यह सारा पैसा वहाँ यूज होता है। मैं अरुण जेटली साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने black money को check करने के लिए एक प्रावधान किया है। मैं समझता हूँ कि आज देश में यह जो real estate का धंधा चल रहा है, इसके लिए जब तक आप रेवेन्यू एकाउंट को digitalize नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। रेवेन्यू एकाउंट, मतलब गाँव में जो प्रॉपर्टी है, जब तक उसका लैंड रिकॉर्ड नहीं होगा, उसकी एंट्री नहीं होगी, तब तक जो असली परचेज़र है, आपको उसका पता नहीं चलेगा। किसी ने third person के through property की खरीद की, बेनामी लोगों के नाम पर, power of attorney की बात की गई है, agreement की बात की गई है, ऐसे ही इस मुल्क में धंधा चलता रहा है। मैं समझता हूँ कि उसी की वजह से इस देश में टैक्सेज भी पूरे नहीं आ रहे हैं। ब्लैक मनी इसलिए है, क्योंकि टैक्सेज भी पूरे नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह से ही ये properties खरीदी जा रही हैं।

महोदय, Economic Survey के मुताबिक यह देखा गया है कि देश का जो पैसा है, वह चंद लोगों के हाथ में है। इस देश में 15-20 घराने ऐसे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। इसकी वजह से अमीर और गरीब के बीच जो disparity है, वह बढ़ती जा रही है। ब्लैक मनी से inflation भी बढ़ता है, prices भी बढ़ती हैं और महंगाई के कारण गरीब आदमी के लिए मकान बनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूँ कि यह महंगाई भी इस कारण बढ़ती है कि जो hoarders होते हैं, जो businessmen होते हैं, दो नम्बर के पैसे से hoarding कर लेते हैं, चीजों का stock कर लेते हैं और इससे महंगाई बढ़ती है। इन चीजों को भी curb करना बहुत जरूरी है।

आपने इस बिल में जो प्रावधान रखे हैं, उनमें आपने investigation की बात की है, administration की बात की है और adjudicating authority की बात की है। इसमें ऐसी बेनामी property को confiscate करने का जो प्रावधान किया गया है, मैं समझता हूँ कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के through इसको कंट्रोल कर रहे हैं। मैं इस पर आपसे clarification माँगूंगा कि जो स्टेट की property है, उसको स्टेट का ही कोई ऑफिसर कंट्रोल करेगा या सेंटर का ऑफिसर कंट्रोल करेगा। जो स्टेट की property है, उसे सेंट्रल डिपार्टमेंट का ऑफिसर क्यों कंट्रोल करेगा? मैं समझता हूँ कि इसकी accountability होनी चाहिए।

महोदय, इसमें कुछ पैसा शेयर मार्केट में भी invest हो जाता है। आप देखेंगे कि यह जो ब्लैक

[श्री शमशेर सिंह ढुलो]

मनी होती है, जो दो नम्बर का पैसा होता है, वह शेयर मार्केट में भी लग जाता है। कई फर्जी ट्रस्ट बन जाते हैं, कहीं भगवान के नाम पर भी पैसा हो जाता है, ऐसे ट्रस्ट्स भी हैं, मन्दिर, गुरुद्वारे और कई बाबा लोग भी हैं, जिनके नाम पर हजारों करोड़ रुपए की property चली आ रही है। आप इनके बारे में भी सोचें कि ये जो आश्रम बने हुए हैं, बड़े-बड़े संतों के पास जो इतने हजारों करोड़ रुपए हैं, वह पैसा कहाँ से आया। यह जो पैसा है, यह देश का पैसा है। यह हिन्दुस्तान के लोगों का सरमाया है। कुछ लोग कहते हैं कि गरीब आदमी tax payers नहीं हैं। टैक्स तो यहाँ हर आदमी देता है, चाहे वह गरीब आदमी हो, चाहे कोई छोटा बिजनेस करता हो, जो कोई भी चीज़ purchase करता है, उसे टैक्स देना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि यही पैसा, जो यहाँ इकट्ठा किया जाता है, बाहर विदेशों में भी भेजा जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ब्लैक मनी की बात की है, काले धन की बात की है। आप benami property के बारे में बिल लाए हैं, लेकिन जो पैसा foreign countries में invest किया गया है, मैं समझता हूँ कि जिस नारे के ऊपर आपको चुनाव में भी सफलता मिली, वह पैसा वापस लाने का प्रावधान आप कब करेंगे कि वह पैसा यहाँ आए। आपकी सरकार ने गरीबों के खाते भी खोले हैं, यहाँ बैंकों में कई करोड़ खाते भी खोले गए हैं। वे गरीब आदमी भी मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि जो धन foreign countries में है, उसमें से 15-15 लाख उनके खाते में कब जमा होगा।

यहाँ तक accountability की बात है, तो यहाँ accountability तो है नहीं। Politician accountable हैं, उन पर corruption के केसेज भी चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान का ज्यादा सरमाया corrupt officers के पास है। इसको check करने के लिए भी आपको प्रावधान करना चाहिए। अगर इस देश का दो नम्बर का पैसा वापस आ जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान खुशहाल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जो पैसा विदेशों में है या हिन्दुस्तान में है, property के ज़रिए उसे चेक किया जा सकता है, वैसे ही जो पैसा share market या दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया गया है, उसको चेक करने के लिए भी आप कोई न कोई प्रबंध करें, ताकि इस देश का पैसा बर्बाद न जा सके। हमारा देश अभी भी एक गरीब देश है और मैं समझता हूँ कि अभी भी इस देश के गरीब लोग भूखे सोते हैं या उनको एक समय खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है। इन बातों पर विचार करना चाहिए, ताकि देश आगे बढ़ सके।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन मेरी कुछ clarifications भी हैं। आपने इसमें जो एक साल से सात साल तक की rigorous imprisonment की बात की है, उन लोगों को पकड़ने के लिए जो investigation agency है, उसके बारे में भी clarity होनी चाहिए। इसमें उस सारे system के बारे में लिखा होना चाहिए, ताकि इसमें और ज्यादा transparency और effectiveness लाई जा सके। जिन लोगों ने काले धन को इन्वेस्ट कर दिया है, ऐसे लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वे हमारे देश की ही प्रॉपर्टीज़ हैं। काले धन के रूप में या दो नम्बर के पैसे के रूप में जो रकम इकट्ठा की गई है, उसको देश की प्रॉपर्टी घोषित करके देश के development के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए। देश में जो भी रोड्स बनती हैं, कारखाने बनते हैं या दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, वे सब देश के पैसे से ही बनाई जाती हैं। इस काम में effectiveness तभी आएगी, जब इस देश का सरमाया चन्द लोगों के बजाए, देश के लोगों की तरक्की में लग जाएगा।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ क्लैरिफिकेशन आपसे मांगी हैं, जैसे आप जो property confiscate कर रहे हैं, वह जिस स्टेट की प्रॉपर्टी है, उसी स्टेट को मिलनी चाहिए। समाज में अमीर और गरीब के बीच जो disparity है, पैसा चंद घरानों के पास इकट्ठा हो चुका है, उसकी भी investigation होनी चाहिए। कुछ लोग थोड़े से समय में अमीर बन जाते हैं, वे अमीर इसलिए बन जाते हैं, क्योंकि bureaucrats और businessmen का एक nexus है। चाहे Income Tax Department के लोग हों या दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हों, लेकिन इनकी वजह से ही सारा काला धन पैदा होता है। उस काले धन को चेक करने के लिए इफेक्टिवली काम होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट्स इसको डील करते हैं, चाहे इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, कस्टम डिपार्टमेंट हो या कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो अथवा तहसीलदार हों, इनके कारण ही टैक्स की चोरी होती है।

आज जमीनों की registries, market price से कम मूल्य पर होती है, उसके लिए भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। जब भी कोई रजिस्ट्री हो, तो वह market value के मुताबिक ही हो। अभी अगर किसी प्रॉपर्टी की registry की जाती है, तो उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और होती है, लेकिन पेपर पर कुछ और वैल्यू डाली जाती है। उस एरिया का जो कलेक्टर होता है या रेवेन्यू ऑफिसर होता, जो उस एरिया की कीमत फिक्स करता है, वह कीमत कुछ और लिखी जाती है और उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और ही होती है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, मैं समझता हूँ कि वह भी एक lacuna है, जिसको दूर करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और इस बिल का समर्थन भी करता हूँ। इस बिल के माध्यम से black money को effectively रोका जा सकता है, जो real estate में इन्वेस्ट कर दी जाती है।

दूसरा, मेरी एक गुजारिश है कि जो corruption का पैसा है, दो नम्बर के business का पैसा है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप कोई प्रावधान करें, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री भुपेन्द्र यादव (राजस्थान): माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि एक लम्बे समय से accountable और transparent system के लिए जो आवाज पूरे देश के नागरिक समूह में उठती रही है, उसकी ओर आपने ध्यान दिया है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) पीठासीन हुए]

हमारे देश में जो एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चलती चली आ रही है, उस अर्थव्यवस्था को नाकाम करने के लिए एव सबको समान रूप से आर्थिक साधनों का वितरण हो सके, ऐसी व्यवस्था को बनाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने विगत दो वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं, जो इस देश में ब्लैक मनी से लड़ने के लिए काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इस सरकार ने आने के तुरंत बाद जो सबसे पहला निर्णय लिया, वह यह था कि इस सरकार के आने से पहले पिछले तीन वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय जो लगातार कह रहा था कि जो विदेशों में काला धन है उसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए और जो पिछली सरकार उन तीन सालों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर काम नहीं कर पाई थी, उसे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने अपने पहले निर्णय में ही कर दिया और एसआईटी को बनाने का काम

[श्री भुपेन्द्र यादव]

किया। साथ ही ब्लैक मनी के लिए भी हमारी सरकार कानून लेकर आई। कहा यह भी जाता है कि जो विदेशों से पैसा आता है, जो फॉरेन रूट है, जो मॉरीशस वगैरह से हमारी ट्रीटी बनी हुई थी, उसके लिए भी इस सरकार ने प्रभावी कदम उठा कर इस देश में ब्लैक मनी के आने के रास्ते को बंद करने का काम किया। अभी सरकार ने 30 सितम्बर तक काले धन के लिए घोषणा का आह्वान किया है। काले धन से लड़ने की सरकार की यह भी एक प्रतिबद्धता है कि जो कानून 1988 से बन कर इनइफेक्टिव पड़ा था, उसको इफेक्टिव रूप देने का काम इस सरकार ने इस बेनामी कानून से करने का किया है।

महोदय, जैसा अभी माननीय वित्त मंत्री जी बता रहे थे, 1988 का जो कानून है, उसको इस प्रकार से बनाया गया था कि उसका एक्सेसिव डेलीगेशन विधि निर्माण का था और इसमें तीन विषयों में स्पष्टता नहीं आ रही थी कि बेनामी की परिभाषा कैसे स्पष्टता के साथ हो, निर्णय करने वाली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कार्य क्या हो और उसमें पेनल्टी के स्पेसिफिक प्रोविजन क्या होने चाहिए। निश्चित रूप से सरकार ने इसमें स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए यह कानून लाया है। जैसा इस कानून के नाम से स्पष्ट है, यह बेनामी प्रॉपर्टी का कानून है, ऐसी संपत्ति जो कि या तो पेपर पर लिखी गई है और पेपर पर जिसके नाम पर लिखी गई है, वह उसका वास्तविक नाम नहीं है, यह संपत्ति को जानबूझ कर दूसरे के नाम पर करके छुपाया गया है, या किसी काल्पनिक नाम से रखा गया है। सरकार को यह भी पता है कि ऐसा करते समय कहीं जो जेनुइन पर्सन है, जो आम नागरिक हैं, उनको परेशानी न हो, इसलिए सरकार ने इसमें एग्जम्पशन देने का भी काम किया है, ताकि सही रूप से दोषी लोग पकड़ में आएँ। आज के समय में संपत्ति में ब्लैक मनी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी संपत्ति को अर्जित कर रहा है, तो कोई कारण नहीं है कि अपने नाम पर वह संपत्ति रखे, निश्चित रूप से वह संपत्ति को छुपा कर रखेगा। बेनामी प्रॉपर्टी केवल गलत रूप से कमाने वाले लोगों के पास नहीं है, इस देश में जो लोग नशे का व्यापार करते हैं, इस देश में जो लोग नशे का व्यापार करते हैं, इस देश में जो लोग आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, वे लोग भी बेनामी संपत्ति के नाम पर बहुत सी संपत्तियाँ अलग-अलग नामों से रखते हैं। इसलिए इस एक्ट के माध्यम से एक प्रावधान किया गया है कि चाहे इन्कम टैक्स अथॉरिटी हो, चाहे सेंट्रल एक्साइज हो, चाहे एनडीपीएस की अथॉरिटी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फेमा हो, चाहे सेबी के अंतर्गत की अथॉरिटीज़ हों, वे अथॉरिटीज़ एक तरह से इस जांच में सहायक के रूप में काम करेंगी। इस सारे कानून को बनाते समय सरकार ने चार अथॉरिटीज़, जिसमें इनीशिएटिंग ऑफिसर है, एप्रूविंग अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटर और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, इनको एक तरीके से सामान्य रूप से रखा है, ताकि अगर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को पकड़ा जाता है, तो उसमें सामान्य व्यक्ति को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की कम्प्लाइंस का प्रावधान भी इस सरकार ने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में देश में अमीरी और गरीबी का जो बहुत बड़ा आंकड़ा बढ़ने का कारण है, वह जैसा हम लोग देखते हैं, जब भ्रष्टाचार में बहुत से अधिकारियों के यहां छापे पड़ते हैं, तो करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा होता है। आखिर यह कौन सा पैसा है, जो उन अधिकारियों के पास जाता है? यह वही पैसा है, जिसको सरकार जनता के लिए खर्च करना चाहती है। सरकार को अगर जनता के लिए पैसा खर्च करना है और उसे नीचे तक

पहुँचाना है, तो उसके लिए जो सिस्टम है, उस सिस्टम की वीकनेस यह है कि वह एक तरीके से समाज में अवैध सम्पत्ति को अर्जित करने और अवैध सम्पत्ति को किसी दूसरे के नाम पर करने को बढ़ावा देती है। इसलिए सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक पारदर्शी शासन देने का संकल्प किया है। सरकार ने एक ऐसा शासन देने के लिए संकल्प किया है, जिसमें समाज में सभी व्यक्ति अपने-अपने सही तरीके से इनकम को अच्छे ढंग से प्राप्त करें और समाज में प्रॉपर्टी का जो वितरण है, उसकी असमानता, जोकि अनावश्यक लाभ के कारण आती है, उसको नियंत्रित किया जाए। बेनामी सम्पत्ति का कानून एक तरीके से देश के उस रिफॉर्म प्रोसेस का हिस्सा है, जिसमें हम लोग जहाँ टैक्स का सरलीकरण करना चाहते हैं, जहाँ हम लोग प्रशासन को उत्तरदायी बनाना चाहते हैं, वहाँ सब लोगों को एक अवसर भी देना चाहते हैं। वह अवसर इस बात का है कि अगर आप भारत में समाज में किसी भी तरीके से सम्पत्ति अर्जित करते हैं, तो उसको व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रयास करें। इसलिए यह जो बिल लाया गया है, यह भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए देश में करों की चोरी को रोक कर सही तरीके से व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए एक बहुत बड़ा उपाय सिद्ध होगा। केवल इतना ही नहीं है कि जिसने बेनामी सम्पत्ति अर्जित की, उस बारे में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा गलत जानकारी भी जान-बूझ कर दी गई है, तो उस गलत जानकारी देने वाले के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। सजा के प्रावधान इस तरीके से बहुत कड़े नहीं किए गए हैं, जिससे किसी आम व्यक्ति को परेशानी हो, बल्कि केवल उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान करने का प्रयत्न किया गया है, जो देश में काले धन के माध्यम से एक समानान्तर व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं। इस समय दुनिया-भर के देशों से एक पूरे ट्रांसपेरेंट सिस्टम की जो वकालत चल रही है, उसको भारत ने भी अपना समर्थन दिया है और ट्रांसपेरेंट सिस्टम आना, उत्तरदायी सिस्टम आना, पारदर्शी सिस्टम आना, यह किसी भी देश के लोकतंत्र की ताकत होती है। अगर हम लोकतंत्र में पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, अगर लोकतंत्र में उन लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसा जायेगा, जो भ्रष्टाचार के कारण, गलत धन की कमाई के कारण और बेनामी सम्पत्ति के कारण समाज में अनावश्यक सम्पत्ति का संग्रह करते हैं, अगर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके कारण समाज में लोग सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि एक प्रकार के लोग करोड़ों रुपए की अकूत सम्पत्ति गलत तरीके से कमा कर जमा करते हैं और एक तरह से समाज में वितरण में असमानता लाते हैं। इसके लिए सरकार ने जो अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और 28 वर्षों बाद जिस कानून को सुधारने की जरूरत है, सरकार ने आते ही दो साल में उस कानून को सुधार कर एक नये रूप में प्रस्तुत किया है। मैं सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि काले धन की समस्या से लड़ने का सरकार का यह एक संकल्प है। तो काले धन की समस्या से लड़ने का जो संकल्प सरकार ने लिया है, आज यह पूरा सदन एकमत हो कर उसमें अपनी सहमति प्रदान करे, ताकि हम देश में एक अच्छी और पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण कर सकें।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय वित्त मंत्री जी, हम बहुत दिनों से सदन में, देश में काला धन और भ्रष्टाचार को रोकने की बात सुन रहे हैं। बहुत से बिल्स भी आए हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ अन्तिम रूप होना चाहिए कि यह बिल अन्तिम है और बस, इससे, यहाँ पर से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप इसी बिल पर आज घोषित कर दीजिए। आज काला धन वाला ला रहे हैं, यह बेनामी लेन-देन वाला बिल है, आज आप यह घोषणा कर दीजिए कि यह अन्तिम बिल है और बस, यहाँ पर से

[श्री नरेश अग्रवाल]

विदेश का भी काला धन खत्म हो जाएगा और इस देश का भी काला धन खत्म हो जाएगा। आप कितने एक्ट्स बनाएँगे? रीयल एस्टेट्स बिल आया। वेंकैया जी बोल रहे थे -- भूपेन्द्र जी तो खैर हर हालात में खड़े कर दिए जाते हैं -- कि रीयल एस्टेट बिल आ जाएगा, तो रीयल एस्टेट में जो काला धन लगना है, वह खत्म हो जाएगा। हम सबने समर्थन किया। अभी आप दो बिल्स और लाए हैं। एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, भूपेन्द्र जी, जिसके लिए आपकी सेलेक्ट कमेटी बैठी हुई है और एक व्हिसल ब्लोअर्स वाला भी ला रहे हैं। मतलब दो बिल्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तभी मैंने कहा कि किसी पर एंड करेंगे कि जहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म होने की बात हो! आपने इनकम टैक्स भी भी अरेस्ट की पावर दे दी, ईडी आपके पास पहले से है, सीबीआई आपके पास है, सेबी आपके पास है। आपने दो लाख रुपए से ऊपर के नकद लेन-देन पर रोक लगा दी। अगर कोई 20 हजार रुपए से ऊपर का बैनामा कराएंगे, तो उसको पैन नंबर देना पड़ेगा, जब कि आप जानते हैं कि देश में सिर्फ 3 परसेंट लोग इनकम टैक्स देते हैं। 96-97 परसेंट लोग पैन नंबर कहां से लाएंगे? आपके जो इतने सारे कानून बने हैं, अगर वे कानून effective नहीं हो रहे हैं, तो आप यहां पर एक बिल लाइए और उन सब कानूनों को समाप्त कर दीजिए और कह दीजिए कि बेनामी लेन-देन का जो यह बिल है, यह सारे बिलों पर प्रभावी होगा और इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा।

चुनाव में विदेश से काला धन वापस लाने की बात हुई थी, इस देश में काला धन खत्म करने की बात नहीं हुई थी। आपको मालूम है कि आपने चुनाव में यह कभी नहीं कहा था। उस समय तो प्रधान मंत्री जी कहते थे कि बस हमारी सरकार बना दो, 15-15 लाख रुपए हरेक के खाते में पहुंच जाएगा और विदेश का सारा काला धन... अभी भूपेन्द्र जी बोल रहे थे। आपने पनामा में कितनी कंपनियाँ पकड़ी, आपके पास कितना ब्लैक मनी आया? इस देश के लोगों ने ब्लैक मनी को पनामा में कंपनी में रजिस्टर किया और उस मनी को एफडीआई के माध्यम से हिन्दुस्तान ले आए। आपने भी allow कर दिया, जिससे यह हो जाए कि हिन्दुस्तान में बहुत सारी एफडीआई आ गई। स्विटजरलैंड से आपको लिस्ट मिली कि कितने लोगों ने स्विटजरलैंड में ब्लैक मनी को रखा हुआ है, सिंगापुर के माध्यम से कितना रूट हुआ, आपके पास ये सब कुछ है, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई हुई? आप कम से कम इस सदन को इसके बारे में बताइए तो, या फिर यही बताइए कि विदेश से काला धन लाने के लिए ये-ये प्रयास किए गए और इतना काला धन आ गया। आखिर लोगों को यह तो मालूम हो कि उनके खाते में कितना रुपया डाला जाएगा। उस गरीब को कम से कम इस सदन से पता तो लग जाए कि इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, 15-15 लाख रुपए तो छोड़िए, कम से कम 15-15 हजार रुपए तो मिलेंगे। उनको लगे कि कुछ तो मिलेगा।

कल अगर हमने एसआईटी बना दी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान लिया, हम इस देश में देख रहे हैं कि सब कानून तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बन रहे हैं, हमारी कौन-सी बुद्धि से बन रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट दे देगा, हम उस जजमेंट के आधार पर तुरंत अमेंडमेंट ले आएंगे। यहां तो इतने अमेंडमेंट्स आते हैं, सब सुप्रीम कोर्ट के.... एसआईटी ने विदेश में काले धन के बारे में क्या-क्या recommendations की हैं? देश में काले धन पर एसआईटी ने जो recommendations दी हैं, मैं उनको पढ़ रहा था। उन्होंने यह भी कहा, यह भी कहा, ये भी recommendations कीं। आप एक बात

जान लीजिए, जब अमेरिका में recession आया था, तब हिन्दुस्तान में recession नहीं था। अमेरिका जैसी कंट्री में recession आने के बाद हिन्दुस्तान में recession नहीं आया, आखिर उसका कारण क्या था? इस पर भी आप बता दीजिए कि उसका क्या कारण था और आज देश में यह स्थिति क्यों खड़ी हो गई है? आप हर कानून में तीन साल, पांच साल या सात साल सजा का प्रावधान कर दीजिए, लेकिन आप याद रखिए कि जनता की सजा बहुत खराब होती है। चुनाव में जब जनता आपको पांच साल की सजा देगी, तब आपको पता चलेगा कि हम सजा का जो प्रावधान कर रहे हैं, यह प्रावधान क्या होता है।

आज काले धन के नाम पर जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, पहले इनकम टैक्स में जिसका रेट एक लाख था, उसका रेट उसने दस लाख कर दिया। भुपेन्द्र जी four appellate authorities के बारे में बता रहे थे। आपने अपील के लिए चार authorities बना दी हैं, पहली प्रारंभिक अधिकारी होंगे, दूसरी अप्रूविंग अथॉरिटी होगी, तीसरी प्रशासनिक अधिकारी होंगे और चौथी निर्णय लेने वाली अथॉरिटी होगी। आपने कहा कि हमने लोगों को चार चरणों में अपील करने का मौका दे दिया। उसके बाद आदमी फिर हाई कोर्ट जाएगा। आपने कहा कि हमने स्पेशल कोर्ट भी बना दिया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने जितनी recommendations कीं, आपने उन सबको क्यों नहीं माना? आपने उनमें से कुछ को क्यों माना? स्टैंडिंग कमेटी में बात हुई थी कि आप कैसे चिन्हित करेंगे कि यह बेनामी प्रॉपर्टी है? अगर किसी कंपनी के नाम कोई प्रॉपर्टी है, कंपनी में डायरेक्टर कोई है और शेयरहोल्डर कोई और है। जो शेयरहोल्डर है, उसने कंपनी के नाम पर कोई संपत्ति ली, लेकिन उसकी डायरेक्टर के नाम पर रजिस्ट्री हुई, तो क्या वह बेनामी संपत्ति हो जाएगी? मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप यह कैसे मान लेंगे कि वह प्रॉपर्टी काले धन से खरीदी गई? आप यह बता दीजिए कि हमने कोई संपत्ति 10 लाख रुपए में खरीदी और उसकी कीमत आज एक करोड़ रुपए हो गई या हमने एक करोड़ की संपत्ति 10 लाख रुपए में खरीदी, तो आप उसमें क्या मानेंगे, किस तरह का मानेंगे? आज सर्किल रेट इतना हो गया है, जितनी प्रॉपर्टी की वेल्यू नहीं उससे ज्यादा सर्किल रेट हो गया। अगर प्रॉपर्टी का रेट दस हजार है और सर्किल रेट एक लाख रुपए है, तो उन्होंने स्टाम्प लेने के लिए सर्किल रेट बहुत ज्यादा कर दिया। अगर आप हर चीज को सर्किल रेट पर लगा रहे हैं, आंक रहे हैं, इनकम टैक्स भी उसकी कीमत आंक रहा है, तो क्या उसको आप जब्त करेंगे या उसको आप लेते हैं तो क्या आप सर्किल रेट पर उसको लेंगे? आप अगर उसको लें तो इसका भी तो जवाब दे दीजिए। दूसरा, केन्द्र और राज्यों में कैसे तालमेल होगा, क्योंकि लैंड तो राज्य का विषय है। आप अगर जब्त करेंगे तो राज्य की सम्पत्ति होगी, आपकी सम्पत्ति तो होगी नहीं, उसे तो राज्य डील करेगा। तो केन्द्र और राज्य के बीच तालमेल कैसे होगा? आपने तो एक्ट बना दिया और इस पर चारों अथॉरिटी केन्द्र की बना दी। तो इसमें आप राज्य का क्या सहयोग चाहते हैं और राज्य कैसे आपको सहयोग देगा और बेनामी मानेंगे कैसे? अगर एक्स ने कह दिया कि इनकी यह सम्पत्ति बेनामी है, तो क्या आप उसको मान लेंगे, उसकी जांच करेंगे, आखिर उसका तरीका भी सदन को बता दें। सदन के माध्यम से पूरा देश जानना चाहता है कि बेनामी सम्पत्ति की परिभाषा क्या होगी, जो अधिकारी बेनामी मानेंगे। ...**(समय की घंटी)**...

मैं ऐसी चीजों को पूछ रहा हूँ जिन चीजों पर जानकारी चाहिए। मैं ऐसी चीजों को ला रहा हूँ कि वाकई में सब लोग इसका उत्तर चाहते हैं। मालूम पड़ा कि हमने अपने दूर के रिश्तेदार से पैसा लिया और हमने सम्पत्ति खरीद ली। आपने तो कहा कि परिवार में, तो परिवार की परिभाषा क्या है? आपने

[श्री नरेश अग्रवाल]

कहा कि अगर परिवार के नाम से ली गई है तो बेनामी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वह स्टैंडिंग कमेटी ने आपको भेजा था। लेकिन अगर कोई दूर के रिश्तेदार से पैसा लेकर हमने व्हाइट मनी लिया और उस मनी से सम्पत्ति खरीद ली, तो उस सम्पत्ति को बेनामी माना जाएगा या उस सम्पत्ति को सही सम्पत्ति माना जाएगा? ये सब चीजें इसलिए हैं कि क्योंकि आपके जब अधिकारी बैठ जाएंगे तो लोगों को इतना प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे क्योंकि आप कोई एक सीमा नहीं दे रहे हैं। आप एक मंत्री हैं, हम एम.पी. हैं, हो सकता है कि थोड़ा हम लोगों से डर जाएं और मंत्री से तो खैर इतना डरते हैं। आप वित्त मंत्री हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि नीचे परेशानी क्या है? परेशानी तो आम जनता को होती है। हम उस आम जनता की बात आपसे कर रहे हैं। मैंने स्टैंडिंग कमेटी में कहा था कि आप कानून अलग से न बनाएं, इन्कम टैक्स में प्रोविजन कर दें। अगर आप इनकम टैक्स में एक प्रोविजन कर देते तो कोई बुराई नहीं थी उस प्रोविजन को लाने में। पावर ऑफ अटॉर्नी को भी स्पष्ट कर दीजिए। वैसे आपने एक्जम्प्ट किया है पावर ऑफ अटॉर्नी में, क्योंकि आपके दिल्ली में सबसे ज्यादा पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल होता है। दिल्ली में रजिस्ट्री कम होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी से ज्यादा प्रॉपर्टीज़ हस्तान्तरित होती हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने पावर ऑफ अटॉर्नी को एक्जम्प्ट करने को कहा था। तो आपने वैसे एक्जम्प्ट किया है, लेकिन आप इसको कम से कम घोषित कर दें दिल्ली के लिए, क्योंकि हमारे यहां तो पावर ऑफ अटॉर्नी चलती नहीं है। वहां तो सीधे-सीधे बेनामा होता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसवाराज पाटिल): संक्षिप्त करिए, टाइम ज्यादा हो गया।

श्री नरेश अग्रवाल: मैं संक्षिप्त में ही कह रहा हूं, ज्यादा इधर-उधर की बातें ही नहीं कह रहा हूं। अगर विदेश में सम्पत्ति है तो क्या उसको भी आप इसमें बेनामी में लाएंगे या नहीं लाएंगे? हमारी सम्पत्ति यहां नहीं, विदेश में किसी की है। उस सम्पत्ति को आप इस एक्ट में लाएंगे कि नहीं लाएंगे, हम यह भी जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं क्योंकि समय हो गया, मेरा इतना कहना है, मैं बहुत दिनों से सदन में कहता भी रहा हूं कि बहुत से कानून प्रभावी नहीं होते, कम कानून प्रभावी होते हैं। आपने आज हर कानून पर जो सजा कर दी, कहीं ऐसा न हो कि सजा का डर लोगों के मन से निकल जाए। क्योंकि अब तो जो भी एक्ट बन रहा है उसमें आप सजा तीन साल मिनिमम कर रहे हैं और सात साल मैक्सिमम कर रहे हैं। इसमें तो आपने लिखा है कठोर सश्रम कारावास। मतलब आपने उनको कठोर कारावास की बात कही है। मैं कहूंगा कि फिर से एक बार चिन्तन कर लीजिए। हम सब लोग ब्लैक मनी को रोकना चाहते हैं, भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं। हम में से कोई इसके विरोध में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अंतिम रूप देकर एक बार में कोई ऐसी चीज ले आइए कि इस देश से भ्रष्टाचार रुक जाए, इस देश से काला धन खत्म हो जाए और बाहर का काला धन वापस आ जाए। हम सब उसके लिए सहमत हैं। हम इस कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक श्रृंखला में कानून बनाते चले जा रहे हैं। अभी पीसी एक्ट आएगा और व्हिसल ब्लोअर एक्ट आएगा, तब भी यह कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम दो और कानून ला रहे हैं। अभी भ्रष्टाचार नहीं रुक पा रहा है, क्योंकि हम कानून है, इसलिए इन दो कानूनों से भ्रष्टाचार रुक जाएगा। आप और कानून लाइए। उस दिन लोकपाल पर मैंने खुलेआम यह कहा था कि मैं लोकपाल से कभी

सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि अगर लोगों ने कह दिया कि प्रधान मंत्री बेईमान है, तो वह देश के लिए दुर्भाग्य होगा। हम प्रधान मंत्री को बेईमान मान लें और लोकपाल को ईमानदार मान लें! सब कहने से कतराते हैं, डरते हैं, लेकिन हम खुलेआम कहते हैं कि अगर आपने लोकपाल लागू कर दिया, तो देश में समानांतर सरकार आ जाएगी, प्रधान मंत्री और मंत्रियों के अधिकार खत्म हो जाएँगे, एमपी कोई भी चीज़ रिकमंड करने से डरने लगेगा और एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आप यह कहने में क्यों डरते और हिचकते हैं? मैं देखता हूँ कि इस बात से सब डरते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे या पक्ष में बोलेंगे तो हमारे -- क्यों नहीं बोलना चाहिए? मैं आपसे कहता हूँ कि इस कानून की हर चीज़ को आप स्पष्ट कर दीजिए। मैंने जिन चीज़ों को पूछा है, उनके बारे में आप बताइए, ताकि देश की जनता को पता लग जाए कि आप जो कानून ला रहे हैं, उससे वाकई में भ्रष्टाचार रुक जाएगा।

अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे कि "राधा स्वामी सत्संग" नाम की एक संस्था है और ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ इसकी जमीन न हो। हमारी बहन बैठी हैं, ये भी स्वामियों में विश्वास करती हैं, हम तो नहीं करते हैं। ऐसा कोई कस्बा या जिला नहीं बचा, जहाँ "राधा स्वामी सत्संग" की जमीन न हो। अब उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, यह हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं केवल एक का ही नाम ले रहा हूँ, ज्यादा का नाम नहीं ले रहा हूँ। आजकल स्वामियों का टर्नओवर बहुत बढ़ रहा है, चाहे वे आपके पक्ष के हों या हमारे पक्ष के हों। ...**(समय की घंटी)**... इसलिए मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को आप स्पष्ट कर दें। इन शब्दों के साथ, मैं इस कानून का इस शर्त के साथ समर्थन करता हूँ कि अब कहीं न कहीं तो इसका अन्त कीजिए! बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): श्री ए. विजय कुमार। आपकी मेडन स्पीच है, इसलिए आपका 15 मिनट का समय है।

SHRI A. VIJAYAKUMAR (Tamil Nadu): Hon. Vice-Chairman, Sir, to begin my maiden speech, I quote the poet, Saint Thiruvalluvar. In Tamil, it says, "*(Hon. Member may fill in Tamil portion)*." In English, it means, "The King or the Leader will be esteemed as God among men who performs his own duties and protects his people." In true spirit, our dynamic Chief Minister, Amma, proves to be the best leader of all. People praised Amma's humanitarian schemes at great length and Puratchi Thalaivi Amma created history by returning to office for a second consecutive term in a State where such a feat has not been achieved in nearly three decades.

I thank my great leader, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, for giving a rebirth to me in politics and providing me the highest honour of being a Member of this historical House. I express my sincere feelings of gratitude and profusely thank hon. Amma from the bottom of my heart.

I wish to express my sincere thanks and gratitude to our beloved leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma, for giving me this opportunity to speak on the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2015.

[Shri A. Vijayakumar]

The Bill seeks to amend the Benami Transactions Act, 1988. The Act prohibits benami transactions and provides for confiscating benami properties.

The Bill seeks to: (i) amend the definition of benami transactions, (ii) establish adjudicating authorities and an Appellate Tribunal to deal with benami transactions, and (iii) specify the penalty for entering into *benami* transactions. The Bill amends this definition to add other transactions which qualify as benami, such as property transactions where (i) the transaction is made in a fictitious name, (ii) the owner is not aware of or denies knowledge of the ownership of the property, or (iii) the person providing the consideration for the property is not traceable.

The Bill also specifies certain cases that would be exempt from the definition of a *benami* transaction. These include cases where a property is held by (i) a member of a Hindu undivided family, and is being held for his or another family member's benefit, and has been provided for or paid off from sources of that family; (ii) a person in a fiduciary capacity; (iii) a person in the name of his spouse or child, and the property has been paid for from the person's income.

Sir, the Standing Committee on Finance, after examining the written submissions and hearing the views of the Ministry, institutions, experts and State Governments on the Bill find that there are key issues, which concern areas and certain operational difficulties which required to be squarely addressed before the Bill is enacted. In the exception to *benami* transaction, as laid down in Section 2(1) of the Principal Act, Clause 4(9)(i),(iii) and (iv) of the proposed Bill, the expression "out of known sources of income" should be replaced by "out of known sources" so as to bring clarity in cases where loan funds, which are not income, are used as consideration for purchase of a property and not be kept out of the purview of the Bill. Further, the words 'and legal' may also be inserted after 'known' so as to safeguard genuine and *bona fide* transactions. The Government has accepted this recommendation of the committee. It must be ensured that any *bona fide* transaction should not be deemed as *benami* when it involves transfer of immovable property entered into under (i) a registered Agreement to Sale (ii) a registered irrevocable General Power of Attorney (GPA), and (iii) a registered Development Agreement on payment of stamp duty in accordance with law applicable thereto.

Sir, according to the 2015 Bill, a *benami* property shall not be re-transferred by the *benamidar*, the person who is holding the property, to the beneficial owner, who provided

the consideration for the transaction or any person representing him. If the *benami* property is re-transferred, it is considered void. However, in the Amendment Bill, it is said that, if the *benami* property is disclosed, as part of the Income disclosure Scheme of the Finance Act, 2016, then the corresponding provisions of the Bill will not be applicable.

In a federal set up like India, where land is a State subject, it would be deemed appropriate that the rights of confiscated *benami* properties vest in the State Governments rather than the Central Government, as proposed in the Bill. In view of this position, the Committee has recommended to the Government to re-examine this aspect in the light of the Constitutional provisions.

The Bill seeks to establish four authorities to conduct inquiries or investigations regarding *benami* transactions — (i) Initiating Officer, (ii) Approving Authority, (iii) Administrator and (iv) Adjudicating Authority. The Standing Committee has observed that It should be ensured that the provisions of the Bill are not in conflict with the provisions of the existing Tribal Land Acts administered by States in Tribal Areas and Scheduled Areas specified under the Constitution. The ground realities in these specified areas should thus be considered and duly factored in. The amendment Bill is likely to have very serious impact in rural areas, where because of a large number of cash transactions and the poor state of land records, even genuine land owners may find it difficult to establish their titles and bonafides. There may also be several cases of old title records being non-traceable. As a precaution, therefore, a thorough and serious inquiry by the Initiating Officer becomes essential before the matter goes to the Adjudicating Authority. The time taken for such inquiry should, therefore, be extended from the proposed period of thirty days to three months. This would give the affected person adequate time to prove that she or he is the genuine owner of the property in question. I hope this recommendation by the Standing Committee has been incorporated in the Amendment Bill.

The Bill seeks to extend the penalty of rigorous imprisonment from one year, up to seven years, and a fine which may extend to 25 per cent of the fair market value of the *benami* property. The Bill also specifies that the penalty for providing false information would be rigorous imprisonment of six months, which may extend to five years, and a fine which may extend to 10 per cent of the fair market value of the *benami* property. Certain Sessions Courts should be designated as Special Courts for trying any offences which are punishable under the Bill.

Time-limit for disposing of the appeal by an Appellate Tribunal, say within two years from the date of filing of the appeal, should be fixed in the Bill. Any increase in

[Shri A. Vijayakumar]

this period should be an exception, made only at the instance of the High Court on an application made by the Tribunal.

The Standing Committee has observed that the provisions of the proposed Bill are silent on the extra territoriality, where the transacting persons standing in fiduciary capacity, *benamidar*, beneficial owner or the property are situated or located abroad. Similarly, the provisions are also silent on the role of whistle blowers and their protection, which would be important to detect *benami* holdings. Adequate provisions in this regard should be incorporated in the Bill.

In the proposed Bill, the appointment of Adjudicating Authority has been prescribed in Clause 9. However, no such mechanism has been provided for appointment of the Initiating Officer and the Approving Authority. The proposed Bill may, therefore, be restructured by inserting a Chapter on Authorities on the lines of Income Tax Act, wherein Chapter-XIII provides for appointment and control, jurisdiction and power of such Authorities so as to have greater clarity and avoid legal hassles.

In Clause 32, Qualification for appointment of Chairperson of the Appellate Tribunal, "a High Court Judge who has experience for a period of at least five years" may be inserted with a view to having the services of experienced judges. This has been accepted and incorporated in this amendment Bill.

A provision is needed to be inserted in the proposed Bill for right to representation for a person preferring an appeal before the Adjudicating Authority as provided under Clause 48 of the Bill, for preferring an appeal to the Appellate Tribunal.

The crux of the whole problem of *benami* transactions lies in transactions being recorded in the name of persons who are not the beneficial owners. To pre-empt and eliminate this, the Committee desires that certain consequential amendments in the Transfer of Property Act, 1882 and the Registration Act, 1908, should be made, particularly making mandatory online registration of all immovable properties, linkage of Adhaar number and PAN number of all the parties to the transaction and sharing of data by the Registration Authorities with the Central Agencies like the Income Tax Department.

Stress should be laid on digitalisation of land records and its regular updation. Efforts should be made to deal with the problem systemically to the extent possible without needless discretionary intrusions. There should be complete coordination and intelligence sharing between different agencies such as Income Tax, Excise, Customs, Police, Banks, Stock Exchanges, Regulators, such as SEBI, RBI and investigative agencies such as CBI, ED & SFIO. This aspect should be adequately reflected in the Bill.

6.00 P.M.

The Committee is of the view that this Bill should not become another coercive instrument in the hands of the Central Revenue Department to forcibly collect or mobilise taxes, as the existing Income Tax Act has adequate provisions and teeth to deal with issues such as tax evasion and unaccounted income or wealth. The Committee believes that multiplicity of authorities should not be created and the existing set-up may be utilised for this purpose. The need of the hour is to exercise these existing powers judiciously and in a credible manner.

The Finance Minister, in his Budget Speech, 2015, has stated that the purpose of the Bill is to curb the generation of domestic black money. However, the Standing Committee finds that the Statement of Objects and Reasons of the Bill is silent over this significant aspect. The intent of the Government should, therefore, be clearly mentioned in the Statement of Objects and Reasons of the Bill. It is also necessary that prevention of corruption and tracking of tainted money are also added as supplementary objects of the Bill.

श्री विवेक गुप्ता (पश्चिमी बंगाल): सर, सर्वप्रथम आपको इस Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2016 पर बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, बात शुरू करने से पहले एक पुरानी हिंदी पिक्चर के गाने की दो लाइंस सुनाकर बिल को summarise करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यह सरकार इसी तरह खोजने की चेष्टा कर रही है:

**"गुमनाम है कोई, बेनाम है कोई,
किस को खबर, कौन है वो, अंजान है कोई।"**

एक माननीय सदस्य: बहुत सुन्दर।

श्री विवेक गुप्ता: सर, मैं आज इस बिल को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सरकार काले धन को वापस लाने के लिए जो भी कानून बनाना चाहती है, उसमें हमारा हमेशा पूरा साथ था, है और रहेगा। लेकिन कुछ बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं, जिनके के बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से clarifications चाहूंगा।

सर, यह proven fact है कि काले धन से संबंधित क्राइम्स, केवल एक परसेंट से कम आबादी ही commit करती है। मगर कानून ऐसा बनाया जाता है, जिससे बाकी 99 परसेंट लोगों को तकलीफ हो जाती है। मैं उदाहरण देता हूँ। सर, इस बेनामी कानून में यह कहा गया है कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आपको बताना होगा कि यह प्रॉपर्टी बेनामी है या नहीं। सर, हमारा एक फौजी कश्मीर में जंग लड़ रहा है। क्या वह जंग छोड़कर वापस आएगा ये बताने कि यह प्रॉपर्टी बेनामी है या नहीं है। सर, CrPC में भी सात साल तक किसी भी आदमी को मृत या गुमशुदा नहीं माना जाता है। सर, इस तरह

[श्री विवेक गुप्ता]

हमारे यहां अलग-अलग कानूनों में अलग-अलग प्रावधान हैं। मैं मांग करूंगा कि इस तरह के कानूनों को clarify कर के एक जगह, एक कानून कर दिया जाए। सर, थोड़े दिन पहले सुषमा जी बता रही थीं कि हमारे हजारों-हजारों लोग सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। अब जब तक वे वापस नहीं आएंगे, क्या उनकी प्रॉपर्टी को बेनामी बताकर किसी-न-किसी ऑफिसर द्वारा हड़प जाना चाहिए। उनकी मदद कैसे की जाए, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। कुछ इस तरह का प्रावधान कानून में होना चाहिए कि जो लोग दो-दो, तीन-तीन साल किसी भी कारण से बाहर रहते हैं, उन्हें कभी किसी काम की वजह से, कभी इलाज की वजह से बाहर रहना पड़ता है, तो उन लोगों को unnecessary तकलीफ यहां न हो।

सर, इस बिल में यह मान लिया गया है, मैं अगर गलत हूँ, तो मंत्री जी correct कर दें, कि हमारे देश में जितने भी Land Records हैं, वे सारे के सारे computerized और up to date हैं। इस का मतलब यह है कि सब को मालूम है कि उनकी कौन सी जमीन कहां-कहां है और सब का demarcation हो चुका है। सर, मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता। मंत्री जी, बताएं कि पूरे भारत में जमीनों का रिकार्ड एकदम computerized, digitized और सारा सही है और सारे Land Records up to date हैं? वास्तव में ऐसा नहीं है और इस कारण काफी वाद-विवाद भी होता है।

सर, इस में यह भी मान लिया गया है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, वे किसी-न-किसी हाई कोर्ट के आसपास रहते हैं, ताकि अगर कोई उनकी प्रॉपर्टी को बेनामी घोषित करे और वे 30 दिन में तुरंत हाई कोर्ट पहुंच जाएं। सर, मुझे नहीं पता कि हाई कोर्ट adjudication और उसकी प्रक्रिया से ग्रामीण लोग कैसे गुजर पाएंगे?

सर, इसमें यह भी मान लिया गया है कि बाबू लोग या जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, वे सभी सम्बद्ध शिकायतों का समय पर निपटारा कर देंगे। सर, हमारे यहां 3-3 करोड़ केसेज पेंडिंग हैं, वे नहीं निपट रहे हैं तो ये complaints कैसे निपटेंगी, मुझे यह समझ नहीं आता। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस विषय पर भी रोशनी डालें।

सर, मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने known source कर दिया, मगर अभी भी source पूछा जा रहा है। सर, इस source में एक बेसिक प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी संपत्ति पैतृक मिलती है, जो कि generation से pass on होती है। इसमें वह क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जो पैतृक संपत्ति हमें मिल रही है, उसको नोन सोर्स से माना जाएगा या नहीं माना जाएगा?

सर, main definition में "ऑफ इनकम" हटा दिया गया है, मगर बाकी जगह पर अभी भी यह है कि, "मेरी आय से।" मैंने यह संपत्ति अपने लिए अर्जित की है, यह नहीं कि कहीं और से मिली है। सर, गिफ्ट भी होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वे सब नोन सोर्स में आ जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि यदि मंत्री जी, आपके माध्यम से इसको क्लैरिफाई कर देंगे, तो और अच्छा होगा।

मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, खास कर जो इनकम टैक्स प्रोफेशनल लोग हैं, जो खासकर लॉ वाले लोग हैं, वे बोल रहे हैं कि यह कब स्टैंडिंग कमेटी से होकर गया, और सब जगह से होकर

गया, मगर हम लोगों को बुलाकर कोई भी कंसल्टेशन नहीं की गई। सर, यह दुखद बात है, लेकिन यह होना चाहिए था।

सर, मुझे इस बिल में जो कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, वे प्रॉब्लम्स में आपके माध्यम से सिर्फ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दूसरे लोगों ने जो कहा है, मैं उसको दोहराऊँगा नहीं। उन्होंने विदेशी धन के बारे में जो कहा है कि HSBS and PANAMA और अन्य कई लोग हमें आकर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पर उसका इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया है।

सर, यह जो बिल है, यह बिल 1988 से है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 1988 से लेकर आज तक हम लोगों ने कितनी बेनामी संपत्तियों को पकड़ा या उनका क्या हुआ? यदि आप उसके कुछ आंकड़े हम लोगों को दे देंगे, तो हमें भी पता चल जाएगा कि हाँ, यह कानून कारगर है, नहीं तो हम लोग कानून बनाते जाएंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा।

सर, organized crime के ऊपर एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में 2008 से पेंडिंग पड़ी हुई है। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसमें पूरी लिस्ट दी गई है कि भारत के अलग-अलग शहरों में कहाँ-कहाँ, organized crime वालों की कौन-कौन सी बेनामी संपत्तियाँ हैं।

सर, मेरा adjudicating authority पर आपके माध्यम से एक और क्लैरिफिकेशन का क्वेश्चन है। एक income tax officer को और एक Judge को बराबर कर दिया गया है। यह भारत में हो नहीं सकता है, इसको ठीक किया जाए। इस पर आपके माध्यम से मंत्री जी द्वारा कोई क्लैरिफिकेशन दे दिया जाए।

सर, जो अपील के प्रावधान हैं, उनको भी ठीक से डिफ़ाइन नहीं किया गया है। इसमें लोगों को बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। गाँवों में हम सभी लोग रूरल एरियाज़ से भी आए हैं, वहाँ ट्रस्ट नहीं होता है, वहाँ पर बैंक्स नहीं हैं। हमारे कई सवालों के माध्यम से हमें पता चलता है कि कई जगह पर बैंक और इसकी ब्रांच दूर-दूर तक नहीं है, वहाँ कैश में डील करना पड़ता है। कई बार प्रॉपर्टी का नाम चेंज होने में भी समय लग जाता है। सर, इन सब प्रैक्टिकल चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए इसमें कोई रियायत होनी चाहिए।

सर, गरीब लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रपोज़ल आया था। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसवाराज पाटिल): ठीक है। आप इसको संक्षिप्त कीजिए।

श्री विवेक गुप्ता: सर, सिर्फ एक, दो मिनट लगेंगे। यह कहा गया था कि डीमेट फेसिलिटी दी जाएगी, लोगों के रिकॉर्ड्स electronically स्टोर किए जाएंगे। यह अभी तक नहीं हुआ है। आपको और हमको भी मालूम है कि गाँव में बाढ़ वगैरह आती है, जब उस बाढ़ में घर बह जाते हैं, तो उसमें दलीलें भी बह जाती हैं, ऐसे लोगों के लिए इसमें थोड़ी रियायत हो या उसके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।

सर, एक ही आदमी के लिए अलग-अलग कानून में, अलग-अलग प्रॉसिच्युशन्स हैं। इसमें कई कठिनाइयाँ आती हैं। एक ही आदमी पर ED, Income-tax वाले, सभी एक साथ टूट पड़ते हैं। सभी उससे बोलते हैं कि ओरिजनल रिकॉर्ड लेकर आओ। वह किस-किस को देगा, इसके बारे में भी कुछ synchronization होना चाहिए।

[श्री विवेक गुप्ता]

सर, मैं कानून पढ़ रहा था। मैं कोई बहुत बड़ा वकील तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा-थोड़ा कानून पढ़कर जो समझ में आया, वह यह था कि कहीं-कहीं स्टेट के लॉज के साथ, खास कर, Tribal laws के साथ conflict आएगा। इसका ध्यान रखा जाए। इस पर जब भी रूल्स आदि बनाए जाएं, तो इसको ठीक कर दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): चलिए, विवेक गुप्ता जी, आप इसको समाप्त कीजिए।

श्री विवेक गुप्ता: सर, मेरे बस दो, तीन सजेशनस हैं, ज्यादा नहीं हैं। जैसा कि हमारे और साथियों ने कहा है, हम भी यही चाहेंगे - क्योंकि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए आप जो भी confiscate करें, आप confiscate करने के बाद इसको स्टेट में वेस्ट कर दें, या स्टेट को हैंड ओवर कर दें।

सर, इनकम टैक्स के लिए, जैसा कि नरेश जी ने भी कहा है कि इसको simplify बना दीजिए। लोगों को, हमको मालूम होना चाहिए कि कौन चोर है, कौन साहूकार है। इनको अलग-अलग कर देना चाहिए।

सर, जो टाइम लिमिट है, उसको थोड़ा सा रिलेक्स कर देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कुछ कठिनाइयाँ बताई हैं, उन सबके बीच में इसको देखना चाहिए। सर, मैं इसका अंत सिर्फ एक लाइन के साथ कह रहा हूँ कि पर्दानशीं लोगों, अब बेपर्दा करने का समय आ गया है। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरिवंश (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि, "The Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2016" एक महत्वपूर्ण और जरूरी कदम है, जिसे बहुत पहले उठाना चाहिए था। मैं इसका समर्थन करता हूँ। हमारे मित्रों ने अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ बताई हैं, जो सही हैं और मैं अपेक्षा करूँगा कि माननीय वित्त मंत्री जी उनका उत्तर देंगे। मैं यह एक बड़े context में कह रहा हूँ कि राजनीति के प्रति आज जो अनास्था बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए, ऐसे अनेक जरूरी कदम हैं, जो हमें मिलकर उठाने चाहिए। हम माननीय मंत्री जी से यह अपेक्षा करेंगे कि वे यह बताएं कि उनका जो चुनावी वादा था कि विदेश से जो काला धन आएगा, उससे हर भारतीय को 15, 20 लाख रुपए मिलेंगे, उस वादे का क्या हाल है। वह वादा आज किस स्थिति में है? मैं उनसे एक अपेक्षा यह भी करूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फायनेंस की स्टैंडिंग कमेटी, 2015-16 की जो सभी अनुशंसाएँ थीं, उन अनुशंसाओं में, जिन अनुशंसाओं को उन्होंने नहीं माना, उसके पीछे सरकार का क्या औचित्य था?

मैं यह कहना चाहूँगा कि बेनामी सम्पत्ति रोकने का एक्ट 1988 में जरूर था, पर वह operational नहीं था। उसमें बदलाव कर यह बिल आया है। इस बिल के आने के बाद सरकार ऐसी सम्पत्ति जब्त कर सकती है। माननीय नरेश जी ने बहुत बेहतर तरीके से जो व्यावहारिक सवाल उठाए हैं, उनके बारे में सरकार को जरूर बताना चाहिए।

मैं याद दिलाना चाहूँगा कि खास तौर से वित्त मंत्री जी यहाँ मौजूद होते, तो उनसे मेरी यह निजी

अपील होती, क्योंकि वे राजनीति का धर्म जानते हैं, कानून के श्रेष्ठ जानकार भी हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश में अच्छे कानूनों का हश्र क्या होता रहा है। इस देश में जमींदारी उन्मूलन कानून आया, भूमि हदबंदी यानी Land Ceiling की व्यवस्था हुई, कुत्ते और बिल्लियों के नाम दशकों-दशकों तक जमीनें रहीं। यह स्थिति कैसे रही? अगर हम bureaucracy के हाथ में सारी ताकत दे देंगे, तो कहीं इसका दुरुपयोग न हो? मैं याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय वी.पी.सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, तो रेड राज की जो स्थिति हुई थी, सही लोगों पर हुई थी। वह स्थिति कम से कम आपके जमाने में न बने, यह मेरी अपेक्षा होगी।

मैं मानता हूँ कि आधुनिक युग की मार्केट इकोनॉमी के नए जमींदार और जागीरदार, ये बेनामीदार हैं। ऐसे प्रकरण बिल्कुल सार्वजनिक रूप में सामने आते रहे हैं कि उद्योग-धंधे बेनामी चलते हैं, कम्पनियों के शेयर्स बेनामी चलते हैं, ड्राइवर, कुक और गार्ड्स कम्पनियों में डायरेक्टर होते हैं, fictitious कम्पनियाँ होती हैं। इन सबसे क्या असर होता है? इनसे black money generate होती है। इस तरह की आर्थिक गतिविधियों से कुल मिला कर समाज पर मोटे-तौर पर क्या असर पड़ता है? इसके बारे में मैं तीन-चार चीजें कहना चाहूंगा। सामाजिक तनाव, सामाजिक-आर्थिक विषमता, parallel economy. आज देश के पास टैक्स का पूरा पैसा नहीं होता, आपके खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, रक्षा से लेकर हर चीज में हम चाहते हैं कि पैसे बढ़ें, कल्याणकारी योजनाओं में पैसे बढ़ें, पर उस पैसे को लाने का साधन कहाँ से आएगा? आज कितने लोग टैक्स देते हैं, सरकार ने आँकड़े दिए हैं। जिनकी आमदनी करोड़ों है, वे कैसे कितना कम टैक्स देते हैं, यह भी पता चला है। कैसे कई करोड़पति, जो दूसरा काम करता है और कृषि को अपना व्यवसाय बता कर वह अपनी इनकम दिखाता है। इन हालात को ठीक करने के लिए ऐसे अनेक कानून चाहिए। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि यह जरूरी है।

अब Real Estate की स्थिति देख लीजिए। आज लाखों मकान खाली हैं। घर खरीदने वाले घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। इसमें किन लोगों के पैसे लगे हैं? कहा जाता है कि इसमें भारी ब्लैक मनी लगी हुई है। कम से कम ये बेनामी investments, ये सब चीजें इससे रुकें, हम लोग यह उम्मीद करते हैं। आज टेक्नोलॉजी ने इसको सम्भव बनाया है। आधार, cashless economy, PAN, Bank Accounts, इन सबका verification, digitization of land records हों, लेकिन ये चीजें अभी देश में बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाई हैं। सम्बन्धित विभागों से इनकी व्यवस्था अच्छी तरह से हो, तो शायद यह स्थिति बेहतर हो।

मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सिर्फ कानून से ही चीजें नहीं बदलती, माहौल भी बनाना पड़ता है। इस सन्दर्भ में मैं बिहार में 2010 में बने कानून की याद दिलाना चाहूंगा। बिहार भ्रष्टाचार सम्पत्ति जब्त अधिनियम बिहार के माननीय मुख्य मंत्री, नीतीश कुमार जी ने बनाया। उनका आग्रह था कि सार्वजनिक जीवन से कैसे हम भ्रष्टाचार को खत्म करें। उनका नारा था कि आईएएस, आईपीएस या प्रशासनिक अधिकारियों ने गलत ढंग से जो सम्पत्तियाँ बनाई हैं, उन घरों के ऊपर हम वैधानिक तरीके से कब्जा करेंगे और उनमें सरकारी स्कूल्स खोले जाएंगे। उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया।

साथ-साथ उन्होंने 2013 में एक Economic Offence Unit गठित की कि कैसे अपराधों को रोकने के लिए इसकी जाँच हो। जब मैं यह प्रसंग सुन रहा था, तो मुझे याद आया कि नरसिम्हा राव जी

[श्री हरिवंश]

के जमाने में मुम्बई बम विस्फोट हुआ। उसमें एन.एन. वोरा कमेटी बनी, जिसने बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट दे रखी है, ...**(समय की घंटी)**... लेकिन उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि शायद इस कानून से वह स्थिति बने।

अंत में मैं आपसे दो चीजें कहना चाहूँगा। मेरे मन में बार-बार यह बात उठती है कि निर्भया प्रकरण जैसी गंभीर घटना इस देश में हुई, उसके बाद कठोर कानून बना, लेकिन आज हालात क्या हैं? स्पष्ट है कि सिर्फ कानून से ही चीजें नहीं होती हैं, देश में उसके लिए एक माहौल बनना चाहिए और वह माहौल राजनीति ही बना सकती है। राजनीति में इस तरह की स्थिति है और जो लोग ड्राइविंग सीट पर हैं, उनसे ही अपेक्षा की जाती है।

मैं याद दिलाना चाहूँगा, गाँधी जी नोआखाली में थे। उस समय नोआखाली की स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य हो गई है, इसकी परीक्षा तब होगी, जब एक महिला, उस समय उन्होंने खास तौर पर एक मनु नाम की महिला का नाम लिया, जो उस समय उनके साथ रहती थीं, उनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि अगर वह रात में अकेली जाएं और उनके साथ कुछ न हो, तब मैं मानूँगा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। इसलिए राजनीति इस चीज को अपनाए।

अंत में एक प्रसंग सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करूँगा। हमारी सरकार के लोग खास तौर पर दीन दयाल जी का बड़ा नाम लेते हैं। अगर माननीय वित्त मंत्री जी अभी यहाँ रहते, तो मैं उनसे कहता कि मैं जानता हूँ कि शायद उनकी इच्छा के अनुरूप यह नहीं हो रहा है कि देश की राजनीति में गोरक्षा के सवाल पर हम कैसा तनाव पैदा कर रहे हैं, दलितों की जो स्थिति है, उस पर हम क्या कर रहे हैं। आप इनसे ध्यान हटाइए और उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए। हम दीन दयाल उपाध्याय जी की बात करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): अब समाप्त करें।

श्री हरिवंश: जिन मालवीय जी को हाल में भारत रत्न दिया गया, मैं उनके जीवन का एक बहुत छोटा सा प्रसंग सुना कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। यदि सात्विक आदर्श बनें, तो शायद इस कानून को यह सरकार अच्छी तरह से implement कर सकती है।

प्रसंग यह था कि मालवीय जी काशी विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उनके घर में दो किचन चलते थे, एक किचन में उनका खाना बनता था और दूसरे किचन में उनके घर के लोगों का खाना बनता था। एक सुबह उनके किचन में तो खाना बना था, लेकिन उनके घर के किचन में खाना नहीं बना था। उसी समय उनका पोता परीक्षा देने के लिए जा रहा था। रसोइया उनसे पूछने आया कि क्या हम आपके किचन से इस लड़के को खाना खिला दें, तो मालवीय जी ने मना कर दिया कि मत खिलाओ। जब वह लड़का परीक्षा देकर लौटा, तो वे भूखे थे। उस लड़के ने मालवीय जी से पूछा कि जब आपके किचन में नाश्ता बना हुआ था, तो उसमें से हम भी नाश्ता कर लेते और आप भी कर लेते, आप भी भूखे रहे, आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? उस समय मालवीय जी ने उसका जो जवाब दिया, वह मैं आपसे कहना चाहूँगा, यह सरकार भी इस बात को समझे। मालवीय जी ने कहा कि मेरे खाने का पैसा शिव

प्रसाद गुप्त जी के यहां से दान के स्वरूप आता है। उस समय शिव प्रसाद गुप्त जी ने बहुत दान दिया था, जिनको बाद में भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि भी दी थी। आज़ादी की लड़ाई में उनका बड़ा योगदान था। मालवीय जी ने अपने पोते से कहा कि चूंकि मैं देश की कुछ सेवा करता हूं, इसलिए उस दान के अन्न को पचा सकता हूं, लेकिन तुम घर के लोग अपने श्रम से जो कमाते हो, वही पैसा खाओ। कम से कम आज हम मालवीय जी की उस बात को याद रखें और चुनाव में होने वाले खर्च को कम करें, तो शायद हालात बदल जाएं, धन्यवाद।

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I rise to support the Bill with some reservations and points for consideration. The Standing Committee on Finance submitted detailed recommendations for getting the Bill in a better way. Sir, unfortunately, a number of recommendations are not taken on board. Now, Sir, black money is a menace to our economy. One of the primary sources of black money is *benami* transactions or *benami* deals. During the election campaign in the last Lok Sabha election, the most famous promise was to bring back all the black money from abroad and deposit ₹ 15 lakh to ₹ 20 lakh in every Indian's bank account. Soon after assumption of office — leave alone the promises or whatever may be the word or however we term it or whatsoever may be the nomenclature — instead of bringing that money back, money from the banking system has been transferred abroad and may never get recovered, if the country's top auditor is to be believed. Sir, *benami* deals are the major reasons for the proliferation of black money. So, generation of black money needs to be restricted. For that, strictest action against *benami* transactions has become a dire necessity. Now, Sir, I want to mention that — the hon. Minister is here — the United Nations Convention regarding corruption was ratified by our country in 2011. Its primary aim is to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption in a more effective manner and in a more effective way. Now, Articles 23 and 30 of the Convention of the United Nations are very specific as far as *benami* transactions are concerned. The Amendment Bill of 2015, to some extent, helps in achieving direction of the United Nations Convention. The Government and the Finance Minister need to be congratulated in this regard.

Sir, the original Act was the Benami Transactions (Prohibition) Act of 1988. It aimed at prohibiting *benami* transactions and recovering the property held by the *benamidar*. Now, prior to enactment of the Act in 1988, an Ordinance dated 19th May, 1988 was promulgated. Sir, subsequently, it was replaced by the Act of 1988. Now, the question comes as to why the promulgation of an Ordinance was necessary. The promulgation of an Ordinance was necessary because the Government of the day felt that it was highly essential. But the question naturally remains as to what happened after 1988. The Government was in a haste; the Ordinance was promulgated. But, unfortunately, after

[Shri Ritabrata Banerjee]

the Act came into existence, nothing happened for long. I want to point out that lack of political will had become evident in this matter.

Sir, now, coming back to the Bill, the Act of 1988 had categorically made the provision to prohibit *benami* transaction and right to recover *benami* property. But, incidentally, no provision for vesting the property with the Government was there. There was no appellate mechanism and no power was conferred to civil court authorities. There was no rule-making provision. Now, the question is: Why did we fail to frame rules? What was the problem? I fail to understand why for so long, rules were not framed. Again, this answer comes that the lack of political will to act upon the *benamidars*, that came into ...(*Time-bell rings*)... Sir, just one more minute. Sir, these deficiencies have been addressed in the present Bill. But I want to make some points for consideration. Firstly, here, the definition of 'benami transaction' is given as the property which is transferred to, or is held by, a person, and the consideration for such property has been given, by some other person for his immediate or future benefit, direct or indirect. Why should we make it immediate or future? It should be mentioned whether it is immediate or future. Secondly, a person denies the knowledge of ownership. Thirdly, the real beneficiary is not traceable or is a fictitious person. Fourthly, what will happen, if the property is transferred in a fictitious name? I have a point of objection, Sir. Section 8 of the Bill, Provision to seize *benami* property and hand it over to the Central Government, is against the core spirit of federalism. We must not forget that land is a State subject. I urge upon the hon. Finance Minister to look into this matter.

Now, Sir, last but not least, as I come from Bengal, when I was speaking about political will, in Bengal, there were instances — those are history records; as Harivanshji was mentioning, कुत्ते, बिल्ली के नाम पर, *beeghas* of land were there. Not only in the names of family members, in the names of pet dogs, and pet cats and pet parrots, *beeghas* of zameen were there. Then the United Front Government, which came into power — I want to mention the name of Mr. Hare Krishna Konar, who happened to be the Land and Land Reforms Minister of the first United Front Government — that Government categorically gave a political slogan * The *benami* land needs to be taken back and that land needs to be ploughed by the farmer. So, the question of political will comes into existence.

I once again take the opportunity to support this Bill because this is a very important one. Unitedly, we need to act on this. Thank you, Sir.

*Hon'ble Member spoke in Bangla.

श्री मुनक्राद अली (उत्तर प्रदेश): महोदय, आपने जो मुझे बेनामी लेन-देन संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी पार्टी की नेता बहन मायावती जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए नामित किया।

महोदय, यह विधेयक बेनामी लेन-देन अधिनियम, 1988 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसका मकसद बेनामी लेन-देन अथवा काले कारोबार को प्रभावी ढंग से रोकना और कानून को धोखा देने पर रोक लगाना है, जिसके तहत बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। विधेयक खण्ड 4 में बेनामी लेन-देन की परिभाषा में संशोधन किया गया है और व्यापक बनाया गया है। खण्ड 7 में निर्णय देने वाले अधिकारियों और खण्ड 30 में बेनामी लेन-देन से निपटने के लिए अदालिये अधिकरण की स्थापना की गई है। खण्ड 53 और 54 में बेनामी लेन-देन करने के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की भी छूट दी गई है।

महोदय, बेनामी नामों से जायदाद, मकान, खेत व प्लाट आदि खरीदना, व्यावार करना, शेयर खरीदना, गाड़ी खरीदना आदि आज आम बात हो गई है। काला धन किसी व्यक्ति का होता है, लेकिन जायदाद का मालिक कोई अज्ञात व्यक्ति होता है। कुछ विशेष मामलों में तो व्यक्ति अपने पैसे से खुद अपने नाम पर संपत्ति लेता है और तुरन्त अपने परिवार के किसी सदस्य को गिफ्ट कर देता है। ऐसा सिर्फ अपनी काली कमाई को छिपाने के लिए किया जाता है। माननीय मंत्री जी ने विधेयक को कानूनी और प्रशासनिक लिहाज से मजबूत करने का प्रयास किया है, जो सराहनीय है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद इसको लागू करने से आने वाली अड़चनों को दूर किया जा सकेगा।

महोदय, आज देश में सबसे अधिक काला धन रियल इस्टेट क्षेत्र में उपयोग होता है। यह पूरा ही क्षेत्र काली कमाई पर खड़ा है। कानून बनने के बाद इस क्षेत्र में सुधार हो जाएगा। मुझे इसमें संदेह है, क्योंकि ये लोग कानून दांव-पेंच करके फिर से काले धन का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस कानून को बारीकी से लागू करें और ठीक प्रक्रिया अपनाते हुए बेनामी सम्पत्ति को जब्त करें, जिससे सभी नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही, जो लोग बेनामी सम्पत्ति की घोषणा वर्तमान में अपनी आय की घोषणा के अन्तर्गत कर रहे हैं, उन्हें इस कानून से माफी दी जानी चाहिए और साथ ही साथ इसमें पेनल्टी की दर भी कम करके 35-40 फीसदी की जानी चाहिए, जिससे इस स्कीम का नतीजा बेहतर हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग बेनामी सम्पत्ति की घोषणा करने में आगे आएँ।

महोदय, जमीन-जायदाद राज्य का विषय है, परन्तु प्रस्तावित कानून में सभी प्रकार की जायदादों को कुर्क करने का अधिकार केन्द्र सरकार के अधीन है, इसलिए राज्य सरकारों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। देश में जमींदारी खत्म हो गई है, परन्तु बेनामी जमीन बड़े-बड़े लोगों के पास है। उद्योगपति बड़े पैमाने पर जमीन खरीद रहे हैं, कहीं जंगल का क्षेत्र है, कहीं पहाड़ है तो कहीं पहाड़ी इलाका है। बड़े उद्योगपति बेनामी लेन-देन के कारोबार से देश की सुख-शांति और दलित, आदिवासी एवं गरीब लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अतः सम्पत्ति की सीमा निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि देश में जब काला धन आएगा, तो हमारा देश खुशहाल होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना होगी।

[श्री मुनक्काद अली]

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहूँगा। ...**(समय की घंटी)**... ग्रामीण इलाकों में खास तौर से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं गरीब लोगों के पास अपनी जमीन के सही कागजात नहीं हैं और राज्य सरकार के पास भी उनका राजस्व लेखा-जोखा नहीं है तथा मालिकाना हक को लेकर भी विरोधाभास है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मुनक्काद अली: ऐसे में कानून बनाने से दीवानी मामलों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकार ऐसे लोगों के मामलों को संज्ञान में लेकर इनका निपटारा करे और एससी, एसटी तथा आदिवासी लोगों को मज़बूत बनाने पर ध्यान दें।

महोदय, इस कानून के लागू होने पर कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने की आवश्यकता है।
...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): अब आप समाप्त कीजिए। मुझे अगला नाम पुकारना है।

श्री मुनक्काद अली: सर, क्या बड़ी सजा का प्रावधान करने या 25 प्रतिशत जुर्माना लगा देने से काले धन से बेनामी सम्पत्ति खरीदने पर रोक लगेगी? इसकी क्या गारंटी है? इसलिए बेनामी लेन-देन रोकने के लिए सरकार सम्पत्ति जब्त करने का अधिकार अपने हाथ में ले। कानून सुचारु रूप से लागू हो, इसके लिए सीबीआई, आईटी, ईडी आदि में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाए, तभी हमें इस कानून को लागू करने में सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा इसका भी हश्र अन्य कानूनों की तरह होगा। हमारी पार्टी इस संशोधन विधेयक का समर्थन करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

SHRI R.S. BHARATHI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, on behalf of DMK, I would like to welcome this Bill. The hon. Finance Minister has explained, in detail, about this Bill and on behalf of DMK, I welcome this Bill. But, at the same time, Sir, I would also request the hon. Finance Minister to give an assurance. Although the *Benami* Act of 1988 was toothless, the hon. Finance Minister has taken pains to plant teeth in this Act by this amendment, which should be welcomed.

Sir, we welcome the motto of the Government, but, at the same time, we have certain reservations. The properties confiscated, as pointed out by many of my colleagues here, should go only to the State Government. Moreover, Sir, we make amendments after amendments, but, there is no end to it. As rightly pointed out by the senior Member, this should be the last amendment that we make and bring down the hoarders and the people who are doing mischief economically in our country. I hope, at least, now, this Act will ensure that the *benami* transactions will be put to an end. Sir, I accept, almost all your

recommendations. In Chapter III, under the heading 'Authorities', it is stated that "The Central Government shall, by notification, appoint one or more Adjudicating Authorities to exercise jurisdiction, powers and authority conferred by or under this Act." Sir, here, I would request you that the Adjudicating Authority can be appointed for each State. If that is not possible, at least, one Appellate Authority for the Southern Region, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala and Puducherry, can be appointed and located, say, at Chennai, Tamil Nadu.

Sir, I would also request that the spirit, in which these amendments are being made, should be effectively implemented.

One more suggestion, Sir, I would request the hon. Minister to place on the Table of the House every year the information on the action taken, the number of *benami* properties seized and confiscated so that we can come to know about it. Thank you.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट का जो बिल है, इसमें वित्त मंत्री जी ने स्टैंडिंग कमेटी की recommendations के बाद काफी सुधार किए हैं और तमाम संशोधन लाकर इस बिल में जो कमियां थीं, उनको दूर करके इन्होंने इसको रखने की कोशिश की। इसमें तमाम प्रोविजन्स के जरिए यह कोशिश की गई कि इसकी पूरी स्क्रीनिंग हो, इसलिए उन्होंने इसको Initiating Officer से लेकर Adjudicating Authority तक चार स्टेप्स में किया है। उसके ऊपर Appellate Tribunal भी है। Adjudicating Authority में इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स रहेंगे और इंडियन लीगल सर्विस के लोग रहेंगे। उन्होंने एक Appellate Tribunal में supremacy judiciary को दी है। अगर कोई भी वित्त मंत्री वकील होता है, तो रिटायर्ड जजों के लिए कुछ न कुछ rehabilitation ground तलाश लेता है, जब कि यह रेवेन्यू का सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के लिए भी प्रोविजन किया गया है। मुझे लगता है कि इसमें रेवेन्यू सर्विस के जो लोग हैं, वे ही इसके लिए competent लोग हैं, अगर उनको इसमें ज्यादा prominence दी जाए, तो Appellate Tribunal का composition भी ठीक हो जाएगा। वैसे तो इनको चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन जब कोई जज बैठा हो, तो वे चेयरमैन नहीं हो सकते हैं।

मेरी समझ में एक और बात नहीं आई कि जैसे कोई बेनामी प्रॉपर्टी है और उसमें किसी का एक हिस्सा है, उसको जो confiscate करने की बात है, वह कैसे determine होगा कि उसका यही हिस्सा है? कोई घर है या कोई बंगला है, उसमें कौन-सा हिस्सा बेनामी है और कौन-सा बेनामी नहीं है? अगर इसमें इसको elaborate किया जाए, तो यह ज्यादा ठीक होगा।

मंत्री जी की नीयत ठीक है, उन्होंने इसमें काफी सुधार किए हैं, लेकिन जो नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे, मुझे भी लगता है कि इससे कहीं लोगों का harassment न शुरू हो जाए। चूंकि इसमें Initiating Officer के हाथ में काफी पावर्स रहेंगी, इसलिए वह कहीं लोगों को तंग करना, उसके जरिए

[श्री राजीव शुक्ल]

लोगों को परेशान करना न शुरू कर दे, क्योंकि कौन बेनामी प्रॉपर्टी है और कौन नहीं है, इसको determine करना, इसके बारे में पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। इसमें यह precaution लेना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये सब चीजें अधिकारियों के हाथ में चली जाती हैं और वे अपने ढंग से करते हैं। ऐसे में कहीं वे लोगों का harassment न शुरू कर दें, क्योंकि जो entrepreneurs हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो लोग थोड़ा-बहुत अपना काम कर रहे हैं, उन पर वैसे ही इस समय चारों तरफ से मार मची हुई है। जो काले धन का भूत सिर के ऊपर सवार हुआ है, वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर यह भूत सवार हुआ है, पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है? हर चीज में काला धन, काला धन अगर काला धन है, तो उसकी वजह से इनकम टैक्स को अरेस्ट पावर, फेरा को अरेस्ट पावर, फेमा, फेरा में कन्वर्ट हो गया, सर्विस टैक्स वालों तक को भी अरेस्ट करने की पावर्स मिल गई हैं। आफिसर इनको दिखा-दिखा कर बहुत लोगों को तंग कर रहे हैं। ऑफिसर लोग जो इस तरह से tax terrorism जैसी situation create कर रहे हैं, अगर वित्त मंत्री जी उस पर ध्यान दें, क्योंकि वे बहुत positive attitude के हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ सकता है।

उसी तरह से इस बेनामी ट्रांजेक्शन को भी इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ढंग से लागू कराएं यानी determine करके, पता करके कराएं, हालांकि उन्होंने उसमें प्रोविजन्स बनाए हैं। Adjudicating Authority और Appellate Tribunal इसलिए बनाए गए हैं कि आदमी को रिलीफ मिल सके, लेकिन उसका इस्तेमाल न हो... इसका रियल एस्टेट सेक्टर पर बहुत असर पड़ेगा, वह already down है और आगे और भी down होगा। इसमें एक चीज यह है कि अरेस्ट का जो भय है, तमाम लिस्ट्स निकली थीं कि कोई दस हजार या एक हजार या दो हजार entrepreneurs बाहर जा रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं। बाहर से जो पैसा आएगा, वह आएगा, लेकिन होता क्या है कि जब कोई अपने बेटे को बाहर भेजता है, तो वह उसको पचास करोड़ रुपए देता है कि मकान खरीद लो, पचास या सौ करोड़ रुपए देता है कि अपना बिजनेस establish करो, तो वह सब पैसा तो इंडिया से बाहर जाएगा। इस तरह से पैसा यहां आने की बजाए पैसा बाहर जा रहा है। आप यूएई में जो Consulate General हैं, उनसे इस संबंध में रिपोर्ट मंगा लीजिए कि कितने लोगों ने यहां जाकर घर खरीद लिए और यहां बस रहे हैं, जो यहां के बिज़नेसमैन हैं, यहां के entrepreneurs हैं, यहां के इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं।

इन लोगों का पलायन रुकना चाहिए, इनको अपने देश में लाना चाहिए। वे यहां खर्च करें, यहां बिजनेस लगाएं, यहां रोजगार दें। अगर वे बाहर इस तरह डर कर, घबराकर गए तो उससे माहौल ठीक नहीं होगा। यहां माहौल ठीक बनाने की जरूरत है। हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि जो यह ब्लैक मनी का भूत है थोड़ा सा सिर से उतारें। ब्लैक मनी ऐसे नहीं आता। हमें पता चला कि कोई सर्वे कराया गया और उसमें पता चला है कि देश में कोई ब्लैक मनी है ही नहीं, मामूली है। किसी के यहां नहीं है कि जो कमरा भर केश भरा है, बोरों में पैसा भरा है। जो पैसा लोगों के पास आता है, वे इन्वेस्ट करते रहते हैं, कहीं न कहीं सिस्टम में लगा हुआ है। तो यह भी आज मंत्री जी स्पष्ट करें कि ब्लैक मनी

है क्या, पहले तो इसकी डेफिनिशन तय हो। फिर जो ठीक है, चुनाव के लिए ठीक था, चुनाव जीत लिया ब्लैक मनी पर। लेकिन एक्यूअली यह क्या है, पता चलना चाहिए। दूसरे, क्या बहुत तादाद में ब्लैक मनी है जैसे बाबा रामदेव जी लाखों-करोड़ों में बोलते हैं। वह लाखों करोड़ ब्लैक मनी देश में और विदेश में कहाँ है, उसका पता तो चलना चाहिए। मेरे हिसाब से देश में ऐसा कुछ भी नहीं है, दो-तीन-चार परसेंट मामूली हो सकता है। लेकिन उसकी वजह से उसका हौवा, हंगामा, पोलिटिकल तमाशा इतना है कि उसकी वजह से लोगों के लिए ये सब कानून बन रहे हैं और लोगों के हरेसमेंट का बहुत बड़ा साधन अफसरों के हाथ में जा रहा है। इसलिए इसको रोकना पोलिटिकल लीडरशिप का काम होता है। मुझे उम्मीद है कि पोलिटिकल लीडरशिप इस पर ध्यान देगी। चूंकि वित्त मंत्री जी स्वयं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्ति हैं, वे इस तरफ ध्यान देंगे और इस तरह की लगाम लगाएंगे कि यह हरेसमेंट न हो और लोगों का जो पलायन है उद्योगपतियों का, व्यापारियों का, entrepreneurs का, रोजगार देने वालों का, वह रुके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): प्रथमतः मैं डिप्टी चेयरमैन साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके बाद मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा देश विकासशील हो, इस देश की अर्थव्यवस्था विकासशील हो, इसमें मेजॉरिटी में गरीब उसमें रहता हो, उस देश के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत पहले इस तरह के बिल आने चाहिए थे, जो कानून का रूप लेते। वह शायद देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में बहुत सहयोग होता। आज जो आपने इस तरह का बिल प्रस्तुत किया है, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें हमारे बहुत ही अनुभवी सांसद सहयोग दे रहे हैं।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

चूंकि बिल के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया है और समय भी मेरे लिए कम ही होगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज जिस तरह का यह The Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2016 इंद्रोड्यूस हुआ। इसकी सबसे बड़ी विशेषता मैं समझता हूँ कि 1988 में जो बिल चला, उससे पहले निश्चित था कि देश के अंदर भ्रष्टाचार और काले धन से लोग बहुत पीड़ित थे, परेशान थे, इससे यह सब खत्म होगा। मैं समझता हूँ कि इस सोच के लिए इस संसद ने चिंतन किया और देश के बुद्धिजीवियों और व्यक्तियों ने मांग की और उसको इंद्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। एक ऑर्डिनेंस 19 मई, 1988 को जारी किया। लेकिन चूंकि यह कह सकते हैं कि धारणा अच्छी होगी लेकिन उसमें कमियां रहीं। पूरे देश में उसका विरोध भी हुआ, क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन फिर भी उसको एक्ट बनाने का प्रयास किया। पुनः 2011 के अंदर इंद्रोड्यूस करते हुए, 2012 में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के आते-आते वह बिल पास नहीं हुआ। अभी मैं यह कहूँ कि फिर दोबारा से 13 मई, 2015 को यह लोक सभा में पेश हुआ और पेश होने के बाद मैं समझता हूँ कि हमारे लॉ कमीशन को रेफर किया। उन्होंने इसको एकजामिन किया। एकजामिन करने के साथ उचित समझा कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस को दिया जाए, जिस पर गम्भीर चिन्तन किया जाए, ताकि बिल में पहले जैसी त्रुटियां न रहें तथा देश के अंदर लागू करने में दिक्कतें न आएँ। उसके तहत सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनकी expertise इस तरह के various aspects में थी, उन

[श्री रामकुमार वर्मा]

लोगों के साथ मीटिंग्स की गईं। चार्टर्ड एसोसिएशन के रिप्रजेंटेटिव्स के साथ भी मीटिंग की गई। इस प्रकार, हर क्षेत्र के व्यक्तियों एवं हर क्षेत्र की संस्थाओं के साथ जितना भी हो सकता था, वह सब किया गया। इसके अलावा, सभी राजनीतिक पार्टियों के सांसदों के साथ भी बैठकर मीटिंग की गई। इसका रिजल्ट यह रहा कि 29.03.2016 को एक अच्छा ड्राफ्ट बिल तैयार हुआ और लोक सभा में पास होकर अब यह राज्य सभा में पारित हो रहा है। मैं इस बिल पर ज्यादा न बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि मैंने इस बिल को सरसरी निगाह से देखा है। मैंने इस बिल के हर पहलू को देखा है। बिल की डेफिनिशन, कौन-सी प्रॉपर्टी है जो बेनामी होगी, कौन-सा व्यक्ति बेनामी ढंग से कार्य करेगा और कौन सा ट्रांजैक्शन बेनामी होगा, उस प्रॉपर्टी का स्वामी कौन होगा या कौन नहीं होगा, यह सब बड़े डिटेल्स में इस बिल के अंदर दिया गया है। हमारे पहले के बिल्स में एक कमी यह रह गई थी कि उनके लिए नियम बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन इसके अंदर नियमावली बनाने के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। अगर किसी तरह की आपत्ति आती है, किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए इसमें निष्पक्ष जांच की बात भी कही गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो प्रथम प्रशासनिक जांच की बात भी कही गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो प्रथम प्रशासनिक जांच अधिकारी होगा, वह Commissioner of Income Tax या Joint Secretary से कम नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अगर initial stage में इस तरह का अधिकारी होगा, जो अनुभवी होने के साथ-साथ financial matters और इस बिल से संबंधित aspects से भिन्न होगा, तो आगे प्रॉब्लम कम आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी तरह की दिक्कत आती है, तो न्याय के लिए एक प्राधिकरण के गठन करने की बात भी इसमें कही गई है। ...**(समय की घंटी)**... प्राधिकरण के गठन के लिए इसमें उन सभी चीजों को बताया गया है, जो कि सभावनाएँ हैं और जिनमें उनकी नियुक्ति से लेकर पदमुक्ति तक की बातें आई हैं।

अंत में, मैं यही कहूँगा कि आज यह बिल एक ऐसे समय में पास हो रहा है और कानून बन रहा है जब इस देश की इकोनॉमी के अंदर एक परिवर्तन आया है। आज "डिजिटल इंडिया" है। रूरल इंडिया के अंदर जो गरीब वर्ग है और जो marginal farmers हैं, जिनका शोषण रियल एस्टेट के आधार पर उनकी जमीनों के लिए होता है, मैं समझता हूँ कि उनको इससे एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और इससे करोड़ों-करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

माननीय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि मैं जिस समाज से जुड़ा हुआ हूँ, जिस गाँव में रहता हूँ, वहाँ मुझे मालूम है कि किस तरह से कालाबाजारी करने और सट्टे में पैसा लगाने वाले लोग उन गरीबों का शोषण करते हैं। वे लोग टैक्स की चोरी करते हैं, देश को टैक्स नहीं मिलता और जब टैक्स नहीं मिलता तो उन गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं के अंदर विघ्न आता है, उसमें कमी आती है। फिर गवर्नमेंट की यह मजबूरी होती है कि उनका प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन बिना सोर्स के कैसे हो। मैं समझता हूँ कि इस तरह के बिल से यह पूरा सदन सहमत है और यह निश्चित है कि इससे देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। यह बिल आने वाले समय में देश की इकोनॉमी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और इससे उन लोगों पर एक पाबंदी लगेगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for allowing me to speak on this Bill. I commend the hon. Finance Minister for bringing in these amendments to the Benami Act. These amendments, once passed, will ensure that the dishonest politicians, the dishonest officers and the crooks are not able to park their ill-gotten money in the names of their relatives, friends or dummy entities. Sir, this Bill was, in great detail, by the Finance Committee, and I was a Member of that Committee. And there, I pointed out that a number of transactions in this country, especially, in the metropolitan cities, had taken place on power of attorney basis. The money that was invested was legitimate money, but because of artificial barriers for some reasons, the properties were not registered in the name of the actual owners, and I am glad that the hon. Finance Minister has taken cognizance of our recommendations, and relief has been given on that account. Sir, I have one question for the hon. Minister and I am sure, he will clarify us on that. When the Agricultural Land Ceiling Act was enacted way back after the Independence, many people put their lands in the names of their relatives, friends etc. and over the years, many of these properties came back to the actual owners when their children became 18 years old. What happens to these properties, especially, those properties which came back to the *Benamidar* after 1988 because at some stage, they did infringe on this Act? So, what the position of those lands would be, if the hon. Minister can clarify. Sir, when it comes to the limitation period, it is important that both initiation and completion proceedings are time-bound. Right now, thirty days have been given for related parties to furnish all the evidence. Given the fact that most of our land records in the country are not computerized, I think, thirty days is too short a period and I hope that the Finance Minister would re-examine this, but some kind of leeway—even if we keep thirty days in the Act—should be given if a person is not able to provide all the evidence in thirty days and this could be done by appealing to the higher authority. Sir, similarly, all proceedings must get over within two years because we have seen that in income tax cases, proceedings drag on for years together and it would be very unfair that when somebody's property has been re-possessed by the State, proceedings are hanging fire for an undue period of time. Sir, I feel that if the tribunal wants to extend this period beyond what is stipulated, then he must appeal to the High Court and this must be confirmed only by a High Court so that again unnecessarily, he is not harassed. Sir, I have only one problem with this Bill. Land being a List II subject under Seventh Schedule of our Constitution, rights over confiscated land should actually belong to the State and not to the Centre. In this Bill, all the land which is confiscated will go to the Centre and I don't think that is in the true spirit of co-operative federalism.

[Shri Naresh Gujral]

Sir, in the end, I would like to point out that since the Initiating Officer would be an Assistant Commissioner or a Deputy Commissioner of Income Tax and the approving authority would be an Additional Commissioner or a Joint Commissioner of Income Tax, the powers extended to these officers, in addition to the powers that they already enjoy under Income Tax Act, run the risk of arbitrary, unreasonable and of exploitative nature. As it is, people are complaining of tax terrorism. I hope that the hon. Finance Minister would put in necessary safeguards to ensure that ordinary citizens are not harassed. Thank you, Sir.

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh): Sir. I will take only a few minutes.

The Bill is not as simple as the Finance Minister has tried to make it out to be by saying it is all about the source of income and all that. This *Benami*, I think, should be immediately related to the rural life. After all, when we are talking about the *benami* transactions, I think we end up talking about the economy. Nobody is against reforms. I would assure, *Yadavji*, that we all want it. But reforms should also be related to the reality situation. The real situation in rural areas today is most of the transactions are done directly in money; they are sometimes oral and sometimes nothing is said at all, because we keep it on gratis.

I give my own example. When you talked about land ceiling, at that time gave forty or fifty acres of land to our man, a helping hand, who was with us for decades. Today, it might be worth crores of rupees. Now, he is interested in coming back and building a house for his near and dear, who also served our family, to go and stay there. What would happen in such cases? Now, the question today is of two things. Most of the Members have already spoke about it. When the hon. Member from AIADMK, Shri Vijayakumar spoke – the hon. Minister was not here – he brought in important things, which are mostly from the Standing Committee. I am surprised when Shri Gujral said that the Standing Committee has looked into all issues, and he is satisfied with it. But today I read the recommendations of the Standing Committee, and many of the recommendations made by the Standing Committee have not been factored in here. So, a view has to be taken on them, particularly the one you talked about 30 inquiry days. After all investigations, within 30 days, nobody can present himself. Even if he presents himself, in a rural situation, in a rural scenario, the ordinary farmer can't fend for himself, the moment he sees an Income-tax man or a Special Adjudicating Agency man, which you have mentioned, a big officer, he will be dumb-founded. He will not say anything. That is another reality, when you talk

of land. Land transactions would constitute something like 50 per cent of the *benami*, if I am not wrong, if you really have to factor in all these kinds of *benami* activities. I can tell an example. An hon. Member who is here knows it. We have this practice of Toddy auctions type of a thing. There used to be societies. Now the cooperative societies are scarce. There is one chief, who advances the money, it is done in his name, but he does not make money at all. It is a generous help to community. Our hon. Member who is from our State does not take money. He allows the Goudas-tappers of 50-100 people, and allows them to do business and enjoy the money also. When the revenue people come, he accounts.; he pays all the money whether it is the Excise, Income-tax, or anything else. These are the rural practices, which this Bill has not taken note of.

Sir, the second thing is, almost all the Members have said about the State. All of us know that land is a State subject. And you are saying that when it is confiscated that will go to centre. I say let it go to the State. I have another peculiar problem in Telangana. Sir, I want the hon. Finance Minister's attention to this. Sir, in Telangana, in the last month, we have passed an Order for regularizing all the *benami* transactions, although we also don't have full land records. The land record should have been completed, but I know there are false land records or various options of land records. These are fragmented holdings, so we really cannot go and find the culprit, if at all there is any *benami*. Now, if the Telangana Rule — it is only a rule — now, we are thinking of a legislation — if it conflicts with the Central Act, then, where do we go? That would become another question for us.

Sir, the Bill says, "*Benami* property means anything which is a subject matter of *benami*." One can complain of the subject matter; it is not proved. The proof will come after two years. In the first 30 days, there will be investigation; then, there will be two years of adjudication. The moment it becomes subject matter of *benami*, that means, my property is first seized. So, this is one thing, which you must look into.

Another provision says, "Where property is transferred or held by..." Sir, I know what you are thinking is correct. It is a very laudable intent; nobody can doubt it when you want to be strict on these kinds of things to curb black money in the economy. Sir, the worry is about the word 'held'. We really give land to somebody; we give the house to somebody gratis. My son would be objecting my house being registered to somebody. It is really given to somebody, who really serves us for long. It is always done. Although you took the name of politicians, every public man does this. We, in Hyderabad, or, in Telangana, practice this. Whenever we have good property, we alienate it and give it the people who are working in our village or in our locality. Sometimes they hold it; we do

[Dr. K. Keshava Rao]

not transfer it immediately. But he knows well that when it ultimately comes to him, he will enjoy it. We don't transfer it immediately because if our progeny – sons - daughters would raise objections, and that fellow would be in difficulty. So, these are some peculiar practices which our rural areas do have, and our own practices do tell us. So, these things have to be taken note of.

Now, we have to think about the tribal areas and the Scheduled Areas. We have not at all talked about this in this particular Bill. I am not complaining about it. But this needs to be taken note of by the Government. Sir, whatever it is, you have created another three-four agencies. We have the Income-tax Department, we have the Police, we have the Excise Department, and all these agencies really look after these things. Now, another adjudicating agency has come in. We could have as well given charge to the Income-tax Officer as the Standing Committee, at one stage, suggested so that we would have minimized the number of these enforcement agencies and there is no harassment of the common people. I am afraid of one issue in this. By creating this, we are, perhaps, vesting more powers in a particular revenue agency or a particular officer. This instrument, so laudable in its intention, is trying to keep in view those who are affecting our economy. But, what is happening is, as far as the rural areas are concerned, it is becoming a coercive instrument. This has to be saved. As all the Members have suggested, I don't want to repeat it, I can only say, as Shri Harshvardhan Singh said, although we may have laws, the legislation at best can give us legitimacy but it can't ensure you implementation.

I would like the Minister to revisit the Bill at the time of rule-making. He must look into the recommendations of the Standing Committee and the very good suggestions that are made here. These things can also be linked into the rules. I can only hope that the Minister will look into this, revisit the entire Bill about the definition, about the powers being given to the adjudicating authorities, about the time-limit of investigation process as also the judgment process in courts. These things can be looked into at the time of rule-making. Thank you very much, Sir.

SHRI ARUN JAITLEY Sir, I am extremely grateful to the large number of hon. Members who have spoken on this Bill, most of whom have supported this Bill. Sir, the debate was started by Shri Shamsher Singh Dullo, who made a very valid point. उन्होंने बहुत जायज़ सवाल उठाया कि अलग-अलग transactions में लोग देश में काला धन इकट्ठा कर लेते हैं और उस काले धन को रोकने के लिए यह एक कदम उठाया जा रहा है। इस बिल के मामले में यह उनका सही विश्लेषण था। मैं केवल इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि काले धन को लेकर हम जो कानून बनाते हैं, उस बारे में हम लोगों के अपने विचार स्पष्ट होने चाहिए। काला धन है, देश में भी और

7.00 P.M.

विदेशों में भी है, यह एक वास्तविकता है। केवल यह कहना कि आखिरी कानून बना दो और यह समाप्त हो जाएगा, यह अपने आप में पर्याप्त तर्क नहीं है। अब अगर काले धन को रोकना है, तो कानून का भी डर होना चाहिए, कानून के डर के साथ-साथ जहां वह काला धन generate होता है, वहां पर किस हद तक रोक लग सकती है, वह प्रयास होना चाहिए और जहां उसका प्रयोग होता है, उसके ऊपर भी कहीं-न-कहीं सरकार की नज़र और उसके संबंध में कार्यवाही होनी चाहिए। अगर हम इस में दो मन के रहे, if we remain confused कि कुछ होने वाला नहीं है, तो यह परिस्थिति सुधरने की संभावना नहीं है। अब काले धन के संबंध में जब पहली बार जानकारियां सरकारों के पास आयीं, विदेशों में एचएसबीसी अकाउंट्स थे, उनके assessment complete किए गए और जिन लोगों के नाजायज़ निकले, उन पर criminal cases चलाए गए। Liechtenstein में बैंक अकाउंट्स की जानकारियां मिलीं, उस के संबंध में केसेज चलाए गए। उसके बाद International Consortium of Journalists ने एक नई लिस्ट छापी, उस संबंध में एक-एक केस जो भारत का आया, उसकी investigation हुई और उसके संबंध में कार्यवाही हो रही है। तो एक multi-agency group बनाया गया, उसमें कई लोग ऐसे थे, जिनके बिल्कुल नाजायज़ अकाउंट्स हैं, details हैं। कई लोग ऐसे थे, जो कहते हैं कि उन्होंने रिजर्व बैंक की अनुमति से कुछ व्यवसाय किया या बाहर पैसा रखा। अब उसकी छानबीन भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। Black money law आया, उसके तहत 600 से ऊपर लोगों ने declaration किए और 60 परसेंट टैक्स दिया। ये सब कदम हैं, जिन से कानून enforce भी होता है और लोगों को कानून का डर भी लगता है। अभी सरकार की Income discloser scheme चल रही है कि जिस व्यक्ति के पास ऐसी आमदनी है, जो टैक्स नेट को avoid कर रही है, तो उसके संबंध में 45 परसेंट टैक्स देकर वह 30 सितम्बर तक उसे declare कर सकता है। जहाँ यह पैसा जनरेट होता है, उसके संबंध में कहीं सख्ती बताई गई। हम लोगों ने पैन कार्ड की जो लिमिट्स लगाई हैं - लेकिन हमारा रवैया यह बन गया है कि यह तो बहुत सख्ती है, यह terrorism है, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, वे क्या करेंगे? तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि उनको केवल एक एप्लीकेशन देने की जरूरत है। वे नेट के ऊपर इसको दे सकते हैं, उनको तुरंत पैन कार्ड मिल जाएगा। इस देश में 25 करोड़ परिवार हैं। मुझे आज की संख्या मालूम नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले तक, लगभग 22, 23 करोड़ तक पैन कार्ड इश्यू हो चुके थे, इसलिए वह पैन कार्ड बनने में कुछ तकलीफ नहीं है।

जो व्यक्ति टैक्स नेट से बाहर है, उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे यूआईडी कार्ड होता है, पैन कार्ड भी उसी प्रकार का एक सबूत है। यदि वह व्यक्ति टैक्स नेट से बाहर है, पर लाखों रुपये की परचेज़ कर सकता है, तो जो व्यक्ति लाखों रुपये की खरीददारी कर सकता है, वह नेट के ऊपर एक पैन कार्ड भी उपलब्ध कर सकता है। जब हम लोगों का अपना मन स्पष्ट होगा, तभी इस संबंध में कार्यवाही हो सकती है।

कई प्रश्न उठाए गए। उनमें एक सुझाव था कि जो जमीन के रिकॉर्ड्स हैं, उनको digitalize किया जाए। यह बहुत अच्छा सुझाव है और राज्य सरकारें इसको कर रही हैं। मैंने इस साल के बजट में भी घोषणा की थी। हम राज्य सरकारों की जो सहायता करते हैं, उसमें हमारी यह अपेक्षा है कि धीरे-धीरे पूरे देश में लैंड रिकॉर्ड्स अपने आप में डिजिटलाइज़ हो जाएं। इसके संबंध में कई प्रश्न उठे। अभी

[Shri Arun Jaitley]

नरेश गुजराल जीने कहा कि जिन लोगों ने यह बेनामी वाला तरीका लैंड सीलिंग से बचने के लिए अपनाया था, What happens to them? Now if you see the covenants of the 1988 Bill and the present law, the offence is made out. Whoever enters into a transaction, the entering into a transaction would necessarily mean that it comes into operation post-1988. So, pre-1998 transactions would not be covered. In any case, prior to 1988, the Indian Trust Act had certain provisions which permitted *benami* ownership. By virtue of the 1988 Act, : Section 7, the provisions of Sections 81, 82 and 94 had been repealed. So, those provisions which permitted a *benami* ownership prior to 1988 were repealed by the 1988 Act and, therefore, only those whose offences are entered into after the coming into force of the 1988 Act itself, would be liable to prosecution. Section 53 is very clear about whoever enters into a *benami* transaction and in a transaction there are two people who enter into it. Obviously, aiding and abetting a crime is also an offence and any person who is involved in it would certainly be covered. Shri Naresh Agrawal put various questions as to what would happen if the property is in the name of a Director, but the money has come from the company. Already in this Act there is an exception that if you hold it as a fiduciary of the company as a Director, then, it is not an offence. If you hold it as a trustee of a trust, it is not an offence. So fiduciary holding is allowed as an exception to *benami* even under this Act. It was also allowed in the 1988 Act. What if the resources have come from a family member? This is exactly what the Standing Committee went into. The earlier phrase was that you have purchased this property, so you must show money out of your known sources of income. So, the income had to be personal. Members of the Standing Committee felt that the family can contribute to it, you can take a loan from somebody or you can take loan from bank which is not your income. Therefore, the word 'income' has been deleted and now the word is only 'known sources.' So, if a brother or a sister or a son contributed to this, this itself would not make it *benami*, because we know that is how the structure of the family itself is. He then raised a question that difficulties will arise when properties are undervalued. Sir, this law does not deal with valuation. Valuation is dealt with by the Income Tax law. If you undervalue a property, it is dealt with by the Income Tax Act. This Act only deals with those properties where consideration is provided by somebody else and the name is that of a *benami*. So, whether it is adequately valued or inadequately valued is a legitimate subject matter of the Income Tax Act, not the Benami Act.

As far as power of attorneys are concerned, I have already said, properties which are

transferred in part performance of a contract and possession is given then that possession is protected conventionally under Section 53(A) of the Transfer of Property Act. That is how all the power of attorney transactions in Delhi are protected, even though title is not perfect and legitimate. Now, those properties have also been kept out as per the recommendation made by the Standing Committee.

Coming to the properties in tribal areas, etc., Sir, there is no provision to exempt those properties under the Benami Act. But, the power to exempt operation of any Central law, in a Scheduled Area, under Article 244(1), read with Schedule IV, is with the Governor of the State. If there is a Scheduled area where tribals are located, the power is there under the Constitution itself to exempt the operation of this Act in those areas. And, therefore, no separate provision is required to be made under this Act.

What happens if the asset is outside the country? If an asset is outside the country, it would not be covered under this Act. It would be covered under the Blackmoney Law, because you are owning a property or an asset outside the country.

Why have four layers of officers and then an appellate Tribunal being created? After all, this is a very major power; it is penal power. Under penal power, a property is being acquired and taken over by the State. When the Government is going to take over property, Members themselves have expressed the view that, at times, there is misuse of power by one officer or the other. And, that is why, to deal with case at different level and to have checks-and-balances, there are different officers of different hierarchies so that the entire case goes through four different stages. And, if the adjudicating officer passes an order, it would be subject to an appeal which will be heard by a Tribunal which is of the nature of a judicial Tribunal.

Sir, a question has been raised when property is vested with the Central Government. Under the 1988 Act, such property was to be confiscated. Now, confiscation is on compensation. But, this provision is not clear in the 1988 Act. But, in the present Act, it is deemed to be vested with the Central Government. Now, the argument is that it should be vested with the State. Sir, as far as the powers of vesting or powers of acquisition is concerned, there are subject matters of Central jurisdiction and there are subject matters of State jurisdiction. There is the Concurrent List. The State Governments also have a power to acquire a property or confiscate a property under a particular circumstance. There are several State legislations where asset can be acquired by the State as arrears of revenue. So, those will be vested in the State. But, those which are acquired or vested under the Central legislation, they don't go to the State Government. For instance, you

[Shri Arun Jaitley]

have power under the Narcotics Act. You have power under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976. So, all properties and assets which are confiscated for violating a Central law will vest with the Central Government. Sir, Income Tax Act is a Central law. If you violate provisions of the Income Tax and generate a lot of blackmoney and that blackmoney is used to buy a *benami* property, then the acquisition has to be by the Central Government, because you have evaded taxes of the Central Government. Therefore, vesting of property cannot be under any other authority.

Mr. Rajeev Shukla had raised two questions. One is: What if a part of property is *benami*? Now, only the *benami* property will be acquired. Then, that part of the property which is not *benami* will not be acquired. For example, there is a 20-storeyed building, 10 floors are in your own name and 10 floors are held *benami*, the ones which are in your own name would not be acquired, but the ones which are *benami* will be acquired.

Last question is with regard to the power of arrest which Mr. Naresh Agarwal and Mr. Rajeev Shukla also made. Under these fiscal violations what should be the extent of power of arrest? We are trying to rationalize that power. I remember that in some of the Budgets, which were presented by the previous Government, very strict penal provisions of arrest and bail had come up. I had opposed some of them when I was sitting on the other side. I remember, the then Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee, had then accepted the suggestions and diluted those provisions.

We have been in the process of examining the provisions, under the taxation laws, of the powers of arrest, etc. For example, in our Service Tax Act, there were six-seven grounds on which you could arrest. We have, now, limited it to cases where tax is collected, but not deposited. That even otherwise would be breach of trust or cheating. You take the money in the name of the Government from the third party and do not deposit it. So, now, it is being increasingly diluted. As far as taxation is concerned, the trend, world over, is to replace it with high penalties, as much as possible. But since this is a *benami* law, like the black money law, there had to be a deterrent provision, which we have put in this particular law. I hope, people will get the clear signals and will not give the State great opportunities, as far as using this law is concerned.

With these few words, Sir, I commend the Bill for passage in the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill further to amend the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 11 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, this is a historic Bill. But, there are no amendments by Dr. T. Subbarami Reddy. ...(Interruptions)... It must go on record. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you could have done that. ...(Interruptions)...

SHRI ARUN JAITLEY: I can only hope, Sir, amendments are normally not *benami*. ...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: I am not *benami*. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no. He is just talking about amendments being *benami*.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Special Mentions.

Demand to withhold the proposal for removing the teachers appointed under Skill Development Programme in Haryana

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): भारत सरकार की राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के अंतर्गत हरियाणा में 2012 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजकीय स्कूलों में कौशल विकास से संबंधित 17 विषय शुरू किए गए थे।

[उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) पीठासीन हुए]